[ 2018 ] 14 एस. सी. आर. 689

के. लक्ष्मीनारायणन

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

( 2018 की सिविल अपील संख्या 11887)

06 दिसंबर, 2018

[ ए. के. सिकरी, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963:

एस. 3 ( 3 ) केंद्र सरकार द्वारा यू/एस शक्तियों के प्रयोग में किए गए नामांकन। 3 ( 3 ) केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा के लिए-चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार के मंत्रिपरिषद/मुख्यमंत्री से परामर्श करने का दायित्व और केंद्र सरकार द्वारा नामांकन केवल निम्नलिखित की सहमति से किया जाना चाहिएः

पुडुचेरी सरकार-क्या पुडुचेरी सरकार से परामर्श करने के लिए कोई संवैधानिक सम्मेलन है, इस तथ्य के आधार पर कि पहले छह अवसरों पर जब नामांकन किए गए थे, केंद्र सरकार ने नामांकन करने से पहले पुडुचेरी सरकार से परामर्श किया है-आयोजितः केंद्र सरकार द्वारा नामांकन के लिए, मंत्रिपरिषद/केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सरकार के मुख्यमंत्री की सहमति नहीं

आवश्यक-ऐसी कोई स्थापित प्रथा या परंपरा नहीं है कि विधानसभा के सदस्यों के नामांकन के लिए नाम मुख्यमंत्री से आने चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। 3 ( 3 ) व्यवसाय आबंटन नियम आ व्यवसाय लेनदेन नियम, 1961 क अनुसार शक्तिक प्रयोगक अतिरिक्त कोनो विशेष वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित नहि कयल गेल अछि-कयल गेल नामांकनकेँ एहि निवेदन पर दूषित नहि मानल जा सकैत अछि जे किछु पूर्ववर्ती मामिलामे पालन कयल गेल विशेष प्रक्रियाक पालन नहि कयल गेल छल।

सरकार "में एस। 3 ( 3 ) - क्या अभिव्यक्ति "केंद्रीय" है सरकार "से एक प्रशासक अभिप्रेत है, जिसे नामांकन की शक्ति का प्रयोग करना होता है, वह भी परिषद की सहायता और सलाह पर।

2018 ] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मंत्री-आयोजितः परिभाषा

केंद्र सरकार का, जैसा कि एस में हो रहा है। 3 ( 3 ) पढ़ना चाहिए कि मतलब राष्ट्रपति और प्रशासक नहीं-केंद्रीय की परिभाषा

सरकार का मतलब है कि राष्ट्रपति दूसरे द्वारा नियंत्रित नहीं है।

अभिव्यक्ति "और इसमें प्रशासक शामिल होगा"-सामान्य या

एस में आने वाले "राष्ट्रपति" शब्द का लोकप्रिय अर्थ। 3 ( 8 ) ( ख) 1897 अधिनियम का दिया जाना है और परिभाषा का दूसरा भाग दिया जाना है।

परिभाषा के पहले भाग को किसी भी तरह से नियंत्रित या प्रभावित नहीं करेगा। - केंद्र सरकार की परिभाषा में, एक प्रशासक

पढ़ा जा सकता है जब उसे अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया हो

परिस्थितियों के तहत विशेष कार्य-सामान्य खंड अधिनियम,

1897 एस। 3 ( 8 ) .

एस। 3 ( 3 ) विधान सभा में नामांकन

आर के अनुसार। 4 ( 2 ) आरडब्ल्यू आर। 48 1963 के नियमों का-आयोजितः यह नहीं है। पुडुचेरी सरकार का व्यवसाय-यह एक व्यवसाय है

एस के अनुसार केंद्र सरकार। 3 ( 3 ) , के अनुसार किया जाता है

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961

और भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961 -

पुडुचेरी सरकार के कार्य नियम, 1963।

एस। 3 ( 3 ) – केंद्र सरकार द्वारा विधानमंडल में नामांकन

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की सहमति के बिना विधानसभा

पुडुचेरी का-यदि संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और सह सक्रिय संघवाद-आयोजितः संघ के संबंध में Art.239A

पुडुचेरी क्षेत्र स्वयं के संविधान की परिकल्पना करता है

विधान परिषद आंशिक रूप से नामांकन द्वारा और आंशिक रूप से चुनाव द्वारा विधान परिषद में नामित करने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है

कानून यू/एस द्वारा प्रदान किया गया। 3 केंद्र सरकार के लिए-इस प्रकार, वहाँ है संघीय सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं।

एस। 3 ( 3 ) उच्च न्यायालय द्वारा अब तक की गई सिफारिशें

आक्षेपित के अनुच्छेद 5 (iv) में की गई सिफारिशों के रूप में

निर्णय-स्थिरता-आयोजितः सिफारिशें शामिल हैं

संसद विभिन्न पहलुओं पर कानून बनाएगी जैसा कि गणना की गई है सिफारिश में-पहले से ही व्यवसाय के नियम हैं

अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कार्यों को पूरा करना

77 ( 3 ) संविधान के अनुसार, बनाने का कोई औचित्य नहीं है

विवादित फैसले के पैराग्राफ नंबर 5 में सिफारिश

-

इस प्रकार, सिफारिशों को अलग रखा जाता है।

के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर.

एस. 12 - विधान सभा में मनोनीत सदस्य-बजट के मामले में मतदान का अधिकार और इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा मतदान करना-जब प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति उपस्थित सदस्यों के वोट हैं, तो स्पष्ट रूप से विधानसभा के निर्वाचित और नामित दोनों व्यक्तियों को होना चाहिए एस की व्याख्या करते हुए गिना गया। 12 ( 1 ) नामित सदस्यों को बाहर नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, वैधानिक प्रावधान यह संकेत नहीं देता है कि नामित सदस्यों को बजट पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 "केंद्र सरकार" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। द.

"केंद्रीय सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा का पता लगाने के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधान पर गौर करना पड़ा। 1897 के अधिनियम की धारा 3 (8) "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। धारा 3 (8) (बी) में केंद्र सरकार को "राष्ट्रपति" के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्ध-बृहदान्त्र के बाद उपयोग किया जाने वाला अगला वाक्यांश "और शामिल होगा" है। धारा 3 (8) में दी गई केंद्र सरकार की परिभाषा एक प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण परिभाषा है। जब परिभाषा में "मतलब" शब्द का उपयोग किया जाता है

राष्ट्रपति ", स्पष्ट इरादा यह है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति है, अगला वाक्यांश" और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, उसका प्रशासक शामिल होगा।

संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करना "एक उद्देश्य और उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि अन्यथा के अलावा संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंधित, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस सीमा तक, जो वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा उस पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। धारा की परिभाषा के अनुसार

3 ( 8 ) ( ख) (iii) संघ के प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार की परिभाषा में प्रशासक शामिल होगा। राज्यक्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाला उसका प्रशासक। इस प्रकार, प्रशासक केंद्र सरकार होगी जब वह [2018] 14 एस. सी. आर. के भीतर कार्य करेगा।

अनुच्छेद 239, व्यवसाय के नियम बनाए गए हैं। कार्यपालक नियम 48 के साथ पठित नियम 4 (2) द्वारा यथा अनुध्यात प्रशासक के कार्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यकारी कार्य शामिल होंगे, जिनका निर्वहन करने के लिए वह अधिकृत है। अनुच्छेद 239 के साथ-साथ अधिनियम, 1963 की धारा 46 के तहत बनाए गए कार्य नियमों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं मिलता है कि जहां तक नामांकन की शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जाना है।

धारा 3 (3) के तहत सरकार, प्रशासक या सरकार पुडुचेरी को किसी भी कार्य के लिए अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया है। राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का ऐसा कोई आदेश अभिलेख पर नहीं लाया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केंद्र द्वारा नामांकन के अधिकार का प्रयोग करने के संबंध में

अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत सरकार को कोई भी कार्य प्रशासक को सौंप दिया गया है, अधिकृत किया गया है या निर्देश दिया गया है। धारा 3 (8) (बी) (iii) के तहत दी गई केंद्र सरकार की परिभाषा, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को अगली अभिव्यक्ति पर भरोसा करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें प्रशासक शामिल होगा। यह पता लगाते समय विषय के संदर्भ पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या धारा 3 (3) के संदर्भ में केंद्र सरकार का अर्थ राष्ट्रपति या प्रशासक होगा।

[ पैरा 15] [711-बी-ई, जी-एच; 712-ए-बी]

1.2 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में परिभाषा खंड "इस अधिनियम में, और सभी में" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए केंद्रीय अधिनियम और विनियम, जब तक कि इस विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या

संदर्भ "। इस प्रकार, 1897 के अधिनियम की धारा 3 (8) (बी) में दी गई परिभाषा को लागू करने के लिए विषय या संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए। [ पैरा 18] [713-जी-एच]

1897 के अधिनियम की धारा 3 (8) (बी) में आने वाला "राष्ट्रपति" शब्द दिया जाना चाहिए और परिभाषा का दूसरा भाग किसी भी तरह से परिभाषा के पहले भाग को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करेगा। में केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुसार, एक प्रशासक को तब पढ़ा जाएगा जब उसे परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य के लिए अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया हो। कोई वैधानिक नियम या कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं के. लक्ष्मीनारायणन बनाम।

संदर्भित किया गया है या रिकॉर्ड पर लाया गया है जिसके तहत

प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में नामांकन करने का हकदार या अधिकृत है।

इस प्रकार, केंद्र सरकार की परिभाषा, जिसमें घटित होती है धारा 3 (3) को राष्ट्रपति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि प्रशासक के रूप में। [ पैरा 21] [717-सी-ई]

जागीर सिंह और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य। ( 1976 )

2 एससीसी 942 [1976] 2 एससीआर 809; काला हीरा पेय और ए. एन. आर. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, केंद्रीय अनुभाग, मूल्यांकन शाखा, कलकत्ता और अन्य (1998) 1 एस. सी. सी. 458 [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 133-संदर्भित।

संविधान, शक्तियाँ और कार्य, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है। [ पैरा 27] [718-जी-एच] 2.2 अनुच्छेद 239 ए (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'कानून' एक संसदीय कानून है। जब संविधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि

यह संसद है जो कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के गठन का प्रावधान कर सकती है, यह केवल संसद है जो अधिनियम, 1963 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधान सभा के गठन का प्रावधान कर सकती है। धारा 3 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान करती है जिसमें तीस सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे और तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। जब अनुच्छेद 239 ए द्वारा परिकल्पित संसदीय कानून केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है जिसमें नामांकन भी शामिल है, तो उक्त संविधान जिसमें नामांकन भी शामिल है, पुडुचेरी सरकार का कार्य नहीं हो सकता है। विधान सभा के लिए सदस्यों का नामांकन इस प्रकार पुडुचेरी को कभी भी नियम 4 (2) में 'सरकार का शेष कार्य' अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। जब नियम 4 (2) स्वयं [2018] 14 एस. सी. आर. में नामांकन के संदर्भ में आकर्षित नहीं होता है।

विधान सभा में, नियम 48 के लागू होने का कोई अवसर नहीं है जो प्रशासक द्वारा मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया जाता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि पुडुचेरी में विधान सभा में नामांकन पुडुचेरी सरकार का कार्य है और इसका प्रयोग नियम 48 के साथ पढ़े गए नियम 4 (2) के अनुसार किया जाना है। पुडुचेरी में विधानसभा में नामांकन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए के आधार पर किया जाना है। [ पैरा 28] [719-ए-ई]

2.3 भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के अनुसार विधान सभा में नामांकन का मामला

पुडुचेरी का मामला अन्य विभागों के साथ परामर्श करने और मामलों को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उसकी समितियों और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के संबंध में नहीं होने के कारण, उपरोक्त कार्य का निपटान सामान्य या विशेष आदेशों या गृह मंत्री के प्रभारी मंत्री के निर्देशों के तहत या उसके तहत किया जाना है। विधान सभा में नामांकन पुडुचेरी पुडुचेरी सरकार का व्यवसाय नहीं है। यह अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार केंद्र सरकार का एक व्यवसाय है जिसे भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961 के अनुसार किया जाना है। [ पारस 32-33] [721-D-F]

3. भारत के संविधान में अपनाया गया संघवाद का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है। अनुच्छेद 239 ए जिसके द्वारा स्थानीय निकायों का निर्माण किया जाता है।

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का प्रावधान संविधान (चौदहवाँ) द्वारा किया गया था। संशोधन) अधिनियम, 1962 संसद को कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक निकाय बनाने का अधिकार देता है, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए, या एक मंत्रिपरिषद, या दोनों के लिए ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जो कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार, संविधान ने अनुच्छेद 239 ए द्वारा संसद को विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया है।

संघ राज्य क्षेत्र कानून द्वारा ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ जो कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह स्वयं संविधान है, जो संसद को के. लक्ष्मीनारायणन बनाम प्रदान करने का अधिकार देता है।

केंद्र शासित प्रदेश के संविधान के लिए कानून द्वारा। इसके अलावा, अनुच्छेद 239 ए द्वारा अनुध्यात एक निकाय के रूप में विधानमंडल एक निकाय है, चाहे वह निर्वाचित हो।

या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित। इस प्रकार, संविधान के प्रावधान में स्वयं विधानमंडल के निर्माण पर विचार किया गया है, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित। जब संविधान स्वयं संसद को एक निकाय बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसे आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित किया जा सकता है और अधिनियम, 1963 की धारा 3, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली तीस सीटों और तीन सीटों के लिए प्रावधान करती है।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए नामांकनों से, संघीय सहकारी संघवाद के सिद्धांतों या सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है।

संघवाद की अवधारणा स्वयं संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण की परिकल्पना करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश, आम तौर पर, केंद्र (यानी केंद्र सरकार) के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इन्हें 'केंद्र शासित प्रदेश' कहा जाता है। यही कारण है कि वे भारत के राष्ट्रपति के प्रशासनिक नियंत्रण में शासित होते हैं। अनुच्छेद 239 के पीछे यही स्पष्ट उद्देश्य है। हालांकि, अनुच्छेद 239 ए के अनुसार पुडुचेरी के संबंध में संघ की शक्ति सीमित सीमा तक कम हो गई है। साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में यह संवैधानिक प्रावधान, यानी अनुच्छेद 239 ए, के संविधान की परिकल्पना करता है -

विधान परिषद आंशिक रूप से नामांकन द्वारा और आंशिक रूप से चुनाव द्वारा। इसके अलावा, विधान परिषद में नामित करने का विशिष्ट अधिकार कानून द्वारा यानी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस प्रकार संघीय सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाता है और संघीय नियमों के उल्लंघन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नामांकन में सिद्धांत निराधार हैं। [ पैरा 54] [734-बी-एच; 735-ए-डी] [2018] 14 एस. सी. आर.

1964 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 का विशेष संदर्भ संख्या 1;

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225 [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, (1977) 3 एस. सी. सी. 592: [ 1978 ] 1 एससीआर 1; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1: [ 1994 ] 2 एस. सी. आर. 644; कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ, (2006) 7 एस. सी. सी. 1: [ 2006 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और एक अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य, (2017) 12 एस. सी. सी. 1: [ 2016 ] 1 एस. सी. आर. 1; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. भारत संघ और अन्य, (2018) 8 एस. सी. सी. 501; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [ 1993 ] 2 पूरक। एससीआर

659 संदर्भित किया गया।

4.1 संवैधानिक सम्मेलनों का जन्म और मान्यता प्राप्त होती है

संविधान के कार्य में। संवैधानिक सम्मेलन का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान का कानूनी ढांचा संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता के अनुसार संचालित हो। संवैधानिक सम्मेलनों का उद्देश्य हमेशा संविधान में निहित उच्च मूल्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। परंपराएं स्थिर नहीं हैं लेकिन संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक परिवर्तन के साथ बदल सकती हैं।

संवैधानिक प्रावधान या रेखांकित प्रावधानों के विपरीत संवैधानिक उद्देश्य और उद्देश्य जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता था। [ पैरा 68] [739-डी-ई]

4.2 जहां तक परीक्षण का संबंध है, 'पूर्ववर्ती क्या हैं', हालांकि यह संकेत दिया जाता है कि कई अवसरों पर सिफारिशों पर मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल के नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे, एक प्रासंगिक तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि

मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल द्वारा की गई सिफारिशों को आसानी से स्वीकार कर लिया गया।

सहयोगियों से। लेकिन वर्ष 1995 का उदाहरण इंगित करता है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों का पालन नहीं किया गया और मुख्यमंत्री से एक नाम लेते हुए नामांकन किए गए। मंत्री की सिफारिश, पुडुचेरी प्रदेश के. लक्ष्मीनारायणन बनाम से एक नाम।

कांग्रेस समिति और केंद्र सरकार के कहने पर एक नाम जो बाद में नामित करता है।

रद्द कर दिए गए। वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और कोई नामांकन नहीं किया गया। इसी तरह, 2011 में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल द्वारा सिफारिशें की गईं लेकिन कोई नामांकन नहीं किया गया। उक्त तथ्य केंद्र सरकार द्वारा नामांकन करने में एक समान मिसाल का संकेत नहीं देते हैं। [ पैरा 83] [748-सी-ई]

4.3 दूसरा परीक्षण जो कि "क्या पूर्ववर्ती अभिनेताओं का मानना था कि वे नियमों से बंधे थे", तब से संतुष्ट नहीं है।

एक से अधिक अवसरों पर अभिलेखों पर ऐसी सामग्री है कि केंद्र सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वह किसी भी नियम से बाध्य नहीं है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार या मुख्यमंत्री की सिफारिशों द्वारा स्वीकार किया जाना है

मंत्री एक शर्त है जिसके तहत सत्ता का प्रयोग किया जाता है धारा (3) की उप-धारा (3)। कोई समान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही केंद्र सरकार को यह विश्वास था कि वह बाध्य है

मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए नियम के तहत। यह सच है कि मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर विचार करने या मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल से उपयुक्त नाम मांगने या मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल को उपयुक्त नाम सुझाने पर केंद्र सरकार में कोई रोक नहीं है लेकिन यह तथ्य कि केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार कर सकती है या नामों की मांग कर सकती है, यह कहने के समान नहीं है कि कोई पूर्ववर्ती या नियम था जब तक कि नाम नहीं हैं

मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार

अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ। जिस उदाहरण में केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों को तुरंत स्वीकार कर लिया, जो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित सरकार से निकली थीं, उसे किसी भी नियम या परंपरा के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है, बल्कि अधिनियमों को शक्ति के सुविधाजनक प्रयोग के रूप में माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार नामांकन के लिए मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल सहित किसी भी वर्ग से इनपुट प्राप्त कर सकती है। [ पैरा 84] [748-एफ-एच; 749-ए-सी] [2018] 14 एस. सी. आर.

किए गए नामांकनों को इस निवेदन पर दूषित नहीं माना जा सकता है कि एक विशेष प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जिसका पालन कुछ पहले के मामलों में किया गया था। इस तथ्य के लिए कोई स्थापित प्रथा या परंपरा नहीं पाई गई है कि विधान सभा के सदस्यों के नामांकन के लिए नाम मुख्यमंत्री से आने चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। [ पैरा 87-88] [750-C-E]

यू. एन. आर राव बनाम श्रीमती. इंदिरा गांधी (1971) 2 एस. सी. सी. 63: [ 1971 ] पूरक। एस. सी. आर. 46; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441 [1993] 2 पूरक। एससीआर 659; उपभोक्ता

शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी v. भारत संघ और अन्य (2009) 9 एस. सी. सी. 648: [ 2009 ] 13 एससीआर 664 -

संदर्भित किया गया।

" संविधान का कानून "प्रोफेसर ए. वी. डाइसी द्वारा; सर केनेथ व्हीयर द्वारा "आधुनिक संविधान" -

संदर्भित किया गया।

5.1 पैराग्राफ नंबर 5 में निहित सिफारिशें और कुछ नहीं बल्कि संसद को तैयार करने के लिए सिफारिशें हैं।

केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया और तरीका पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य नियमों द्वारा विनियमित किया गया है। संविधान। अनुच्छेद 77 (3) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम केंद्र के सभी कार्यकारी कार्यों पर लागू होते हैं।

संवैधानिक और सांविधिक कार्यों सहित सरकार। [ पैरा 90] [751 ए-सी] के. लक्ष्मीनारायणन बनाम।

विवादित निर्णय के पैराग्राफ नंबर 5 में सिफारिश। इसके अलावा, शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जाना है। सरकार और यह माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत विचारों द्वारा निर्देशित होगी। हालांकि, केंद्र में कोई रोक नहीं है

सरकार या विधानमंडल के लिए नियम या क़ानून बनाने के लिए

नामांकन के संबंध में व्यवसाय का अधिक सुविधाजनक लेन-देन। विधानमंडल और उच्च संविधान प्राधिकरणों को सिफारिशें नियमित तरीके से नहीं की जाती हैं और उच्च न्यायालय को पैराग्राफ संख्या 5 में निहित कोई भी सिफारिश करने से बचना चाहिए था। योग्यताएँ और सदस्य बनने या विधान सभा का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्यता का प्रावधान अधिनियम, 1963 में पहले ही किया जा चुका है। विधान सभा के सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता अधिनियम, 1963 और अन्य प्रासंगिक कानूनों में प्रदान की गई है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वैधानिक कार्यों का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार, न केवल पैराग्राफ नंबर 5 (iv) में की गई सिफारिश बल्कि पैराग्राफ नंबर 5 में की गई सभी सिफारिशों को अलग कर दिया जाता है। [ पैरा 91] [751-जी-एच; 752-ए-डी]

6.1 अनुच्छेद 239 ए जो संघ की संरचना के लिए प्रावधान करता है

पुडुचेरी क्षेत्र ने स्वयं विचार किया कि संसद,

कानून द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय का निर्माण कर सकता है, (i) चाहे निर्वाचित हो या; (ii) आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित। अनुच्छेद 239 के तहत, संसद ने कानून बनाया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, जिसकी धारा 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधान सभा होगी। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या तीस होगी और केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में तीन से अधिक व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकती है। इस प्रकार, विधान सभा की संरचना में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति और केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति [2018] 14 एस. सी. आर. हैं।

विधान सभा का हिस्सा। अधिनियम, 1963 के प्रावधान विधानसभा के सदस्यों को संदर्भित करते हैं। धारा 11 में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान लेने से पहले, प्रशासक या उसके द्वारा उस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसमें हस्ताक्षर करेगा। "केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य" अभिव्यक्ति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। इसे अधिनियम, 1963 की पहली अनुसूची द्वारा और स्पष्ट किया गया है, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचित और निर्वाचित दोनों को संदर्भित करता है।

मनोनीत सदस्य। [ पैरा 92] [752-एफ-एच; 753-ए-बी]

6.2 धारा 12 (1) में प्रावधान है कि किसी भी बैठक में सभी प्रश्न

संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा का होगा

धारा 12 (1) की व्याख्या करते हुए नामित सदस्यों को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 12 (1) में "विधान की किसी भी बैठक में सभी प्रश्न" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। सभा ", अभिव्यक्ति" सभी प्रश्न "में सभी शामिल होंगे।

ऐसे मामले, जिनका निर्णय विधान सभा की किसी भी बैठक में किया जाना है। सांविधिक प्रावधान यह संकेत नहीं देता है कि मनोनीत सदस्यों को बजट पर मतदान करने और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 12 के प्रावधान के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं। इसके अलावा, उप-धारा (1) में प्रावधान है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के मतदान बहुमत में, अध्यक्ष एक व्यक्ति नहीं होगा, जो मतदान करेगा। जब उप-धारा (1) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से अध्यक्ष द्वारा कोई मतदान का प्रावधान नहीं है, यदि विधानमंडल का इरादा नामित सदस्यों के मतों को बाहर करना था, तो उक्त अभिव्यक्ति उप-धारा (1) में शामिल होने के लिए बाध्य थी। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मनोनीत सदस्यों सहित सभी सदस्य विधानसभा की बैठक में मतदान करने के हकदार हैं। धारा 12 की उप-धारा (4) जैसे अन्य प्रावधान, जो विधान सभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति का प्रावधान करते हैं।

"के. लक्ष्मीनारायणन बनाम के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई" शब्द का प्रयोग किया।

विधानसभा के सदस्यों में स्पष्ट रूप से निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार, यह प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है कि मनोनीत सदस्य बजट में अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखा गया है सिवाय इसके कि

पैराग्राफ 5 में दिए गए निर्देश जिन्हें हटा दिया गया है। [ पारस 94,95] [754-ए-जी]

मामला कानून संदर्भ

[ 1976 ] 2 एससीआर 809

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[ 1997 ] 4 पूरक। एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[ 1973 ] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[ 1978 ] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[ 1994 ] 2 एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[ 2006 ] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[ 2016 ] 1 एससीआर 1

पै

रा 46

संदर्भित किया गया है

( 2018 ) 8 एस. सी. सी. 501

पै

रा 48

संदर्भित किया गया है

[ 1993 ] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

[ 1971 ] पूरक। एससीआर 46

संदर्भित किया गया है

पै

रा 69

[ 2009 ] 13 एससीआर 664

संदर्भित किया गया है

पै

रा 85

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 11887

2018 से।

उच्च न्यायालय के 22.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में मद्रास का न्यायालय (ग) 2017 की सं. 16275।

के साथ

2018 की सिविल अपील सं. 11888।
कपिल सिब्बल, रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , इम्तियाज अहमद, सुश्री नगमा

इम्तियाज, एंटनी R.Julian, सुश्री लुबना नाज, विक्रमादित्य सिंह, मेसर्स। इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स, सुश्री अनुषा नागराजन, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सुश्री रंजीता रोहतगी, अभिषेक ठकराल, राघव तन्खा, कोशी जॉन, अदित एस. पुजारी, एम. निजामुद्दीन पाशा, एम. वैकुंठ, थॉमस फ्रैंकलिन सीजर, एस. गौतम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, बी. वी. बलराम दास, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, एस. मनुराज, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

ये दोनों अपीलें डी. आर. ए. एस. उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2018 के सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा केंद्र द्वारा किए गए नामांकनों पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र अधिनियम, 1963 (इसके बाद "अधिनियम, 1963" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करना।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा

एसएसईडी।

2. रिट याचिकाएं दायर करने के लिए पृष्ठभूमि तथ्य

ये अपीलें इस प्रकार हैं:

2.1

संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा अनुच्छेद 239 ए को शामिल करके क्षेत्रों में संशोधन किया गया था, जो "कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण" का प्रावधान करता है। लेख 239 ए ने प्रावधान किया कि संसद, कानून द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के लिए एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, के रूप में कार्य करने के लिए बना सकती है

केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल, या मंत्रिपरिषद, या दोनों के लिए ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है। उपरोक्त के बाद

संविधान में अनुच्छेद 239 ए का संशोधन करते हुए संसद ने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ अन्य राज्यों के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 लागू किया।

विषय हैं।

2.2

बड़ी संख्या में केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें अधिनियम, 1963 द्वारा शासित किया जाना था। धीरे-धीरे, कई केंद्र शासित प्रदेशों को एक राज्य का दर्जा दिया गया और आज की तारीख में, धारा 2 (एच) के तहत केंद्र शासित प्रदेशों की परिभाषा "केंद्र शासित प्रदेश" को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रूप में

परिभाषित करती है। अधिनियम, 1963 की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान हैं - केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी विधानसभाओं के लिए

रचना. धारा 3 (2) के अनुसार, कुल संख्या शमीनारायण v।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या

तीस और धारा 3 (3) के अनुसार, केंद्र सरकार तीन से अधिक व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में नहीं हैं, विधानमंडल के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है।

एन. आर. मद्रास उच्च न्यायालय में दायर किया गया था जिसमें उत्तरदाताओं को किसी भी मामले में निषेध करने के लिए प्रार्थना की गई थी पुडुचेरी विधान सभा के लिए सदस्यों की मनोनीत सीटों को नामित करने या भरने की विधि

निर्वाचित मंत्रिपरिषद के परामर्श और चयन के साथ। रिट याचिका 27.06.2017 पर दायर की गई थी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों के रूप में श्री वी. समिनाथन, श्री के. जी. शंकर और श्री एस. सेल्वगणबती को नामित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

पुडुचेरी। तारीख की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध करते हुए रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था 23.06.2017 . 2017 की एक अन्य रिट याचिका (सी) संख्या 18788-एस. धनलक्ष्मी बनाम। भारत संघ और अन्य। मद्रास उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करते हुए दायर किया गया थाः

" विवादित अधिसूचना से संबंधित तीसरे प्रत्यर्थी की फाइल पर अभिलेखों को बुलाने के लिए प्रमाणित मैंडमस का लेखन। नहीं। F.No.U-11012/1/2014

यू. टी. एल. दिनांकित 23-06-2017 और उसी को रद्द कर दें और

परिणामस्वरूप 1 से 3 उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे केवल निर्वाचित मंत्रिपरिषद के परामर्श और चयन के साथ पुडुचेरी विधान सभा के लिए सदस्यों को नामित करें और इस तरह के आगे या अन्य पारित करें।

आदेश देते हैं और इस प्रकार न्याय प्रदान करते हैं।

13.11.2017 पर, पुडुचेरी विधान सभा के सचिव ने [2018] 14 एस. सी. आर. के अध्यक्ष के निर्णय को सूचित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान सभा जो मनोनीत सदस्य कर सकते थे

संविधान और अधिनियम, 1963 के उल्लंघन में नियुक्त किए जाने पर विधानसभा के सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होगा। दिनांकित 13.11.2017 संचार को तीन नामित सदस्यों द्वारा तीन अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई थी जो रिट याचिका संख्या थी। 29591 , 29592 और 2017 का 29593। सभी रिट याचिकाओं, अर्थात 2017 की रिट याचिका संख्या 16275,2017 की रिट याचिका संख्या 18788 और 2017 की रिट याचिका संख्या 29591,29592 और 29593 की सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से की थी। रिट याचिका सं। 16275

2017 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 2017 की अधिसूचना और 2017 की अधिसूचना संख्या 18788 को खारिज कर दिया गया है, जबकि रिट याचिका संख्या। 29591 , 29592 और 29593 को अनुमति दी गई है। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दो अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णय दिए गए हैं। क्रियाशील भाग

न्यायमूर्ति एम. सुंदर द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में, जिसके साथ मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण सहमति व्यक्त की थी, निम्नलिखित प्रभाव से थाः

" व्हिप द्वारा दायर 2017 की डब्ल्यू. पी. संख्या 16275 और पी. आई. एल. याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की डब्ल्यू. पी. संख्या 18788 को खारिज कर दिया जाता है। याचिकाएँ लिखें, डब्ल्यू. पी. संख्या। 29591 मनोनीत विधायकों द्वारा दायर 2017 के 29593 तक की अनुमति है। मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस मुकदमे के प्रक्षेपवक्र के आलोक में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। नतीजतन, संबंधित विविध याचिकाएं हैं -

बन्द "।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के उपरोक्त खंड पीठ के फैसले के खिलाफ, केवल दो अपीलें दायर की गई हैं, एक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा और दूसरी एस.

धनलक्ष्मी ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी, जिसके द्वारा 2017 की रिट याचिका संख्या 16275 को खारिज कर दिया गया है और 2017 की रिट याचिका संख्या 18788 में डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ एक और अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। जहाँ तक रिट याचिका संख्या में खंड पीठ का निर्णय है। 29591 , 29592 और 2017 का 29593 तीन नामित विधायकों द्वारा दायर किया गया, जिसके द्वारा उनकी रिट याचिकाओं को के. लक्ष्मीनारायण बनाम को रद्द करने की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष का दिनांक 23.11.2017 का निर्णय, कोई अपील दायर नहीं की गई है।

3. हमने श्री कपिल सिब्बल और श्री सलमान खुर्शीद को सुना है, जो अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। हम सुन चुके हैं। श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत संघ के विद्वान महान्यायवादी। प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार को सुना गया है।

4. श्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए नामांकनों को चुनौती देते हुए विभिन्न दलीलें दी हैं। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि पुडुचेरी सरकार की विधानसभा के संविधान में महत्वपूर्ण रुचि है, क्योंकि इसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है और यह लोगों के प्रति जवाबदेह है। पुडुचेरी सरकार विधानसभा में किए गए नामांकनों में अजनबी नहीं हो सकती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विधानसभा के सदस्यों के नामांकन पुडुचेरी सरकार से होने चाहिए और उनकी सहमति होनी चाहिए

इसकी उत्पत्ति पुडुचेरी सरकार से हुई थी। राष्ट्रपति पुडुचेरी सरकार से नाम पूछ सकते थे। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय को एक वैध प्रक्रिया पर निर्णय लेने दें, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पुडुचेरी की विधानसभा में नामांकन करते समय अपनाया जाना है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि कम से कम छह हुए हैं ऐसे अवसर जब केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा में सदस्यों को नामित करने से पहले पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार से परामर्श किया जाता था। वर्ष 2001 में, जब उपराज्यपाल ने पुडुचेरी सरकार से परामर्श किए बिना विधानसभा में नामांकन के लिए नाम भेजे, तो पुडुचेरी सरकार द्वारा आपत्ति जताई गई और नामित सदस्यों की प्रस्तावित सूची को निर्वाचित सरकार के साथ परामर्श के अभाव में उपराज्यपाल को वापस भेज दिया गया। वे प्रस्तुत करते हैं कि नामांकन से पहले पुडुचेरी सरकार से परामर्श करने की पिछली घटनाओं ने एक संवैधानिक परंपरा का रूप ले लिया है, जो कि एक संवैधानिक कानून के अलावा और कुछ नहीं है जिसका सभी संबंधितों को पालन करना चाहिए। वह प्रस्तुत करते हैं कि दिनांकित अधिसूचना 23.06.2017 के माध्यम से नामांकन करते समय, उपरोक्त संवैधानिक परंपरा का पालन नहीं किया गया है, जो नामांकन को अवैध और अस्थिर बनाता है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह कहा गया था कि उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार और [2018] 14 एस. सी. आर. को कोई नामांकन नहीं भेजा है।

केंद्र सरकार ने अपने दम पर अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत नामांकन किए हैं। श्री कपिल सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में आने वाली अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से नहीं समझा गया है। वह प्रस्तुत करता है कि के अनुसार

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (8) के तहत दी गई परिभाषा में केंद्र सरकार का अर्थ राष्ट्रपति है और इसके संबंध में शामिल हैः

किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, उसका प्रशासक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रपति ने कार्य के नियम बनाए हैं पुडुचेरी सरकार, 1963, जिसका नियम 4 वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापार नियमों के अनुसार, यह प्रशासक है, जिसे नामांकन करने की आवश्यकता थी, वह भी उसके बाद।

मंत्रिपरिषद का परामर्श। श्री सिब्बल ने अपने कथन को पुष्ट करने के लिए व्यापार नियमों के नियम 4 (2) और नियम 48 का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधान सभा के लिए नामांकन पूरी तरह से नियम 4 (2) में होने वाली "सरकार का शेष कार्य" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाता है। इसलिए, कार्य नियमों के अध्याय IV के साथ पठित नियम 4 (2), संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी शक्ति के पूरे सरगम को शामिल करता है। चूँकि अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) "केंद्र सरकार" को संदर्भित करती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 239 के संदर्भ में शक्ति के प्रयोग का संकेत मिलता है, इसलिए पुडुचेरी सरकार के कार्य नियमों के अध्याय IV के साथ पढ़ा गया नियम 4 (2) लागू होगा। इसलिए, अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत सदस्यों को नामित करने की शक्ति में अनिवार्य रूप से अध्याय 4 के अनुसार कार्य करने वाले प्रशासक को शामिल करना होगा।

5. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि यदि व्याख्या स्वीकार की जाती है तो

संविधान की मूल विशेषता और यह सरकार है, जो लोकतांत्रिक रूप से गठित होती है और लोगों की इच्छा को दर्शाती है और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे विधान सभा में नामित किए जाने के लिए सदस्यों को आरंभ और सहमति देनी होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में, सरकार नामांकन की प्रक्रिया के लिए कोई अजनबी नहीं है। श्री सिब्बल द्वारा एक और निवेदन जिस पर जोर दिया गया है, वह यह है कि भले ही नामित सदस्यों को चुनाव की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार हो।

विधानसभा में इस तरह के मतदान के अधिकार के दो अपवाद हैं, अर्थात (i) बजट पर मतदान, और (ii) बजट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान।

सरकार। वह प्रस्तुत करता है कि नामित सदस्यों को उपरोक्त दो विषयों में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा। श्री कपिल सिब्बल ने आगे बहुत स्पष्ट रूप से के. लक्ष्मीनारायण बनाम में कहा है।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

उनके प्रस्तुतिकरण में कहा गया है कि वह अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) को चुनौती नहीं दे रहे हैं और न ही वे विधान सभा में नामित किए गए सदस्यों की पात्रता के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिब्बल ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

6. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी का जवाब देते हुए

पुडुचेरी। अनुच्छेद 239 के अनुसार, यह राष्ट्रपति है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करना। उपराज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक हैं

पुडुचेरी, राष्ट्रपति के निर्देशों और निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का शासन करता है। न तो उपराज्यपाल और न ही विधानसभा

केंद्र शासित प्रदेश पर शासन करने का दावा कर सकते हैं। अधिनियम, 1963 संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है। विधान सभा की शक्तियाँ और कार्य अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा विधान सभा में नामांकन को सशक्त बनाने का प्रावधान किसी भी तरह से संघवाद या सहकारी संघवाद के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है। अधिनियम, 1963 या किसी भी संवैधानिक प्रावधान में निम्नलिखित प्रावधान नहीं हैं -

किसी भी

केंद्र सरकार द्वारा विधान सभा में नामांकन करने के लिए पुडुचेरी सरकार का परामर्श। बड़ी संख्या में संवैधानिक प्रावधान हैं, जो परामर्श के लिए प्रदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा नामांकन करने में पुडुचेरी सरकार के परामर्श के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और न ही परामर्श का ऐसा कोई अधिकार, अधिनियम, 1963 से समझने योग्य है। नामांकन में परामर्श पढ़ने से संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अपीलार्थी अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में "परामर्श" शब्द को पढ़ना चाहते हैं, जिसे जानबूझकर रोक दिया गया है। जब के प्रावधान

अधिनियम, 1963 केंद्र सरकार की प्रधानता का संकेत देता है, यह निवेदन कि नामांकन पुडुचेरी सरकार की सहमति से किया जाना चाहिए, पूरी तरह से निराधार है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधीन है।

7. श्री के. के. वेणुगोपाल ने आगे कहा कि मंत्रिपरिषद

पुडुचेरी सरकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई एक एजेंसी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1963 की धारा 50 राष्ट्रपति को प्रशासक और उनकी मंत्रिपरिषद को कोई भी निर्देश जारी करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शक्ति की सीमा में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है

धारा 50 के तहत परिकल्पित। श्री वेणुगोपाल ने विभिन्न अन्य कानूनों का उल्लेख किया जहां केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों द्वारा निर्देश जारी करने के लिए प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न वैधानिक प्रावधानों में, निर्देशों को कई शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कुछ कानूनों में परामर्श की भी परिकल्पना की जाती है।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होगी और निर्वाचित और गैर-निर्वाचित दोनों सदस्यों के लिए संसद अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया जाएगा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1963 की धारा 14 जो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, इस बात पर विचार नहीं करती है कि यदि नामांकन बिना परामर्श के किया जाता है विधान सभा, सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए, विधान सभा के मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श न करने को कोई अयोग्यता नहीं माना जा सकता है।

9. श्री रंजीत कुमार आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 33 में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा इसके लिए नियम बना सकती है -

अपने व्यवसाय का विनियमन और संचालन करना। इसी तरह, धारा 46 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को कार्य के आवंटन और कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाएगा। वे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1963 के साथ-साथ धारा 36 के तहत बनाए गए नियमों में, मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री से परामर्श प्रदान करने वाला कोई नियम नहीं है

केंद्र सरकार द्वारा विधान सभा में कोई भी नामांकन करने से पहले मंत्री।

10. वह आगे प्रस्तुत करता है कि विधान सभा के पास कोई शक्ति नहीं है

विधानसभा में किए जाने वाले नामांकन को विनियमित करने के लिए कोई भी कानून बनाएँ। केवल संसद को ही विधान सभा के संविधान को विनियमित करने वाले अनुच्छेद 239 ए के तहत कानून बनाने का अधिकार है। जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पास विधायी शक्ति नहीं है, तो पुडुचेरी की विधानसभा द्वारा किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि नामांकन की शक्ति जो कानून बनाने की शक्ति से प्रवाहित होगी जब तक कि अनुच्छेद 239 ए और विधायी शक्ति कार्यकारी शक्ति के साथ व्यापक नहीं होगी।

11. श्री कपिल सिब्बल ने के. लक्ष्मीनारायण बनाम का जवाब देते हुए अपनी जवाबी प्रस्तुति में कहा।

विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ श्री रंजीत कुमार की प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करती हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं नामांकन के लिए केंद्र सरकार। वह आगे दोहराते हैं कि केंद्रीय

अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत सरकार का अर्थ राष्ट्रपति से है जिसने बदले में अपनी शक्ति अपने प्रशासक को सौंप दी, इस प्रकार, नामांकन प्रशासक से उत्पन्न होना चाहिए जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना है। वे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य के नियम अनुच्छेद 239 के साथ-साथ धारा 44 और अधिनियम, 1963 की धारा 46 के तहत कार्य के नियम हैं, इसलिए कार्य के नियम पुडुचेरी सरकार के संपूर्ण कार्यकारी कार्यों से संबंधित हैं।

12. अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है जो

प्रस्तुतिकरण पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाए।

13. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों और अभिलेख पर सामग्री से निम्नलिखित मुख्य मुद्दे हैं जो इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

( 3 ) क्या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार की सहमति के बिना विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा नामांकन संघवाद और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? ( 4 ) क्या केंद्र सरकार द्वारा कोई नामांकन करने से पहले पुडुचेरी सरकार से परामर्श करने के लिए कोई संवैधानिक परंपरा है, इस तथ्य के आधार पर कि पहले छह तारीख को

सरकार ने पहले भी पुडुचेरी सरकार से परामर्श किया है

( 5 ) क्या केंद्र सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1963 अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत नामांकन के लिए परामर्श करने के लिए बाध्य है

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार की मंत्रिपरिषद/मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा नामांकन

केवल पुडुचेरी सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है?

( 6 ) जहाँ तक आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 5 (iv) में की गई सिफारिशों का संबंध है, क्या मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशें अस्थिर हैं और इनमें नहीं हैं

कानून के अनुसार?

( 7 ) क्या विधान सभा में मनोनीत सदस्य

उन्हें दो मामलों में मतदान का अधिकार नहीं होगा, अर्थात (i) बजट और (ii) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव?

मुद्दा संख्या 1

14. श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत कथन यह है कि

पुडुचेरी की विधानसभा में राष्ट्र का प्रयोग पुडुचेरी क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रशासक के रूप में किया जाना है। अधिनियम, 1963 "केंद्र सरकार" को परिभाषित नहीं करता है। सामान्य खंडों का प्रावधान 1897 "त्राल सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा का पता लगाने के लिए इस पर गौर करना पड़ा। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (8) में "केंद्र सरकार" शब्द है। का प्रासंगिक भाग

3 (8) पर इस प्रकार हैः

" 3 ( 8 ) " केंद्र सरकार "-

( अ)।

( ख) इसके बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में

संविधान के प्रारंभ का अर्थ है राष्ट्रपति; और

शामिल हैं,

( (i).. ..... ( (ख)।

( (iii) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, के. लक्ष्मीनारायणन v.

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

प्रदत्त प्राधिकारी के दायरे में कार्य करने वाला प्रशासक

संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे;

15. धारा 3 (8) (बी) में केंद्र सरकार को "राष्ट्रपति" के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्ध-बृहदान्त्र के बाद उपयोग किया जाने वाला अगला वाक्यांश है

" और इसमें शामिल होगा "। धारा 3 (8) में दी गई केंद्र सरकार की परिभाषा एक प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण परिभाषा है। जब परिभाषा में "राष्ट्रपति का अर्थ" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो स्पष्ट इरादा यह है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति है, अगला वाक्यांश "और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में शामिल होगा, संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में काम करने वाले उसके प्रशासक" को एक उद्देश्य और उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।

एक प्रशासक के माध्यम से, जो उसके द्वारा उस पद के साथ नियुक्त किया जाए, जो वह निर्दिष्ट करे, उस हद तक कार्य करना जो वह उचित समझता है। के अनुसार

भारत के राष्ट्रपति; (iv) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत प्रशासक द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य। व्यवसाय के नियमों का अवलोकन, जिन्हें अनुच्छेद के तहत तैयार किया गया है 239 साथ ही अधिनियम, 1963 की धारा 46 स्पष्ट रूप से यह इंगित नहीं करती है कि जहां तक धारा 3 (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामांकन की शक्ति का प्रयोग किया जाना है, पुडुचेरी के प्रशासक या सरकार को उपरोक्त [2018] 14 एस. सी. आर. में कोई कार्य अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया है।

ध्यान दें। राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले नामांकन के अधिकार के संबंध में, कोई भी कार्य प्रशासक को सौंप दिया गया है, अधिकृत किया गया है या निर्देश दिया गया है। केंद्रीय की परिभाषा

धारा 3 (8) (बी) (iii) के तहत दी गई सरकार, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को अगली अभिव्यक्ति "शामिल होगी" पर भरोसा करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रशासक। यह पता लगाते समय विषय के संदर्भ पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या धारा 3 (3) के संदर्भ में केंद्र सरकार का अर्थ राष्ट्रपति या प्रशासक होगा।

16. इस न्यायालय को जागीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1976) 2 में परिभाषा खंड की व्याख्या करने का अवसर मिला था। एससीसी 942। उपरोक्त मामले में, न्यायालय यात्रियों और वस्तुओं (लोक सेवा मोटर वाहनों द्वारा ले जाए जाने वाले) अधिनियम, 1961 पर बिहार कराधान में परिभाषित "मालिक" की परिभाषा पर विचार कर रहा था। निर्णय के पैरा 11 में, परिभाषा निकाली गई है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 11. बिहार अधिनियम की धारा में "मालिक" शब्द को परिभाषित किया गया है।

2 ( (घ) निम्नलिखित रूप से:

" " 'स्वामी' से किसी लोक सेवा मोटर वाहन का स्वामी अभिप्रेत है जिसके संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है और इसमें लोक सेवा मोटर वाहन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनुमति धारक या ऐसे वाहन का तत्काल प्रभारी या ऐसे मालिक के व्यवसाय स्थल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति शामिल है।

17. बिहार अधिनियम में मालिक की परिभाषा में भी दो का उपयोग किया गया है।

व्यक्ति जिसका नाम परमिट धारक के रूप में परमिट में दर्ज किया गया है या कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसे वाहन का कब्जा या नियंत्रण है। यह दावा किया गया था न्यायालय के समक्ष यह शब्द "या कुछ समय के लिए प्रभारी व्यक्ति के. लक्ष्मीनारायणन बनाम।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

"स्वामी" की परिभाषा में ऐसे वाहन का संकेत है कि परिवहन या बुकिंग एजेंसियां जो सार्वजनिक सेवा मोटर वाहन को किराए पर लेंगी, वे इन सार्वजनिक सेवा मोटर वाहनों के संबंध में परमिट धारक हुए बिना शब्द की परिभाषा के भीतर मालिक होंगी। परिभाषा को विशेष तरीके से पढ़ने के तर्क को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अदालत। पैराग्राफ संख्या में। 19 और 21, निम्नलिखित आयोजित किया गया हैः

" 19. "मालिक" की परिभाषा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को खारिज करती है कि परिभाषा का अर्थ न केवल मालिक है जो परमिट धारक है, बल्कि एक बुकिंग एजेंसी भी है जो हो सकता है

बिना परमिट धारक के वाहन का प्रभारी। मालिक की परिभाषा में पूरा उच्चारण सार्वजनिक सेवा मोटर वाहन के संबंध में परमिट धारक पर है। यह परमिट है जो धारक को वाहन चलाने का अधिकार देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाहन को चलाया जा रहा है कि उस वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले माल के यात्री और प्रेषक न केवल मालिक को किराया और माल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, बल्कि उस पर मालिक को कर भी देना पड़ता है। शब्द "या कोई भी व्यक्ति जो उस समय ऐसे वाहन का प्रभारी है या ऐसे मालिक के व्यवसाय के स्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है" इंगित करता है कि परमिट धारक में कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो उस स्थान पर है।

परमिट धारक या किसी ऐसे व्यक्ति के ऐसे वाहन का प्रभार जो ऐसे मालिक के व्यवसाय के स्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मालिक यह कहकर दायित्व से बच नहीं सकता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए ऐसे वाहनों का प्रभारी है, और इसलिए, ऐसा व्यक्ति मालिक है न कि परमिट धारक। 21. "स्वामी" शब्द की परिभाषा संपूर्ण है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाहक वाहन या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी प्रबंधक को शामिल करके शब्द के अर्थ का विस्तार करना है।

मालिक का। विधायिका का अपने द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार शब्द के अर्थ का विस्तार करने का इरादा निराश होगा यदि समावेशी होने का इरादा वास्तविक मालिक को बाहर करने के लिए किया जाता है।

18. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में परिभाषा खंड इस अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है "इसमें

अधिनियम और उसके बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में

इस अधिनियम का प्रारंभ, जब तक कि इसमें कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ "। इस प्रकार, धारा 3 के तहत दी गई सभी परिभाषाएँ विषयगत हैं "जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो।" इस प्रकार, विषय या संदर्भ में दी गई परिभाषा को लागू करने के लिए देखा जाना चाहिए।

धारा 3 (8) (बी)। जागीर सिंह (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने यह भी निर्णय दिया है कि [2018] 14 एस. सी. आर.

परिभाषा खंड की व्याख्या करते समय, किसी परिस्थिति में शब्द के उपयोग द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ की व्याख्या करते समय ऐसे मामले से संबंधित संदर्भ, संयोजन और शब्दों के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 20 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 20. निर्माण का सामान्य नियम केवल देखने के लिए नहीं है

शब्द लेकिन संदर्भ, संयोजन और उद्देश्य को देखने के लिए

ऐसे मामले से संबंधित ऐसे शब्द और अर्थ की व्याख्या

कभी-कभी परिभाषा खंड अभिव्यक्तियों द्वारा योग्यता पैदा करते हैं। जैसे "जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो"; या "जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो"; या "यदि संदर्भ के साथ असंगत न हो या

विषय-वस्तु "। " संसद कम उद्देश्य के लिए कानून बनाएगी।

लॉर्ड मैकनाघटेन इन नेदरसील कं. वी. बॉर्न (1889) 14 एसी

228 , " यदि इसकी देखभाल के उद्देश्य अपने स्वयं के परिभाषा खंड बनाकर कानून के काम को पूरक या पूर्ववत कर सकते हैं। लोग।

किसी कानून की भाषा पर एक निजी व्याख्या करके उसके दायित्व से बच नहीं सकते। अदालतें हमेशा जांच करेंगी।

लेन-देन की वास्तविक प्रकृति जिससे बचने की कोशिश की जाती है

कर "।

19. ब्लैक डायमंड बेवरेजेज में इस अदालत का एक और फैसला

और एक अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, केंद्रीय अनुभाग,

आकलन शाखा, कलकत्ता और अन्य, (1998) 1 एस. सी. सी. 458 भी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 2 (डी) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा पर विचार करने का अवसर मिला था। परिभाषा में उद्धृत किया गया है

निर्णय का पैरा सं. 5, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

1954 के अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर के बहु-बिंदु उद्ग्रहण के लिए। 1954 के अधिनियम की धारा 2 का उपखंड (घ) इस प्रकार हैः निम्नलिखित हैः

" 2. ( घ) विक्रेता के संबंध में प्रयुक्त 'बिक्री-मूल्य' का अर्थ है अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री के लिए धन पर विचार की राशि। पश्चिम बंगाल में उसके द्वारा निर्मित, निर्मित या संसाधित, या

लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

उनके द्वारा पश्चिम के बाहर किसी भी स्थान से पश्चिम बंगाल में लाया गया

बंगाल, पश्चिम बंगाल में बिक्री के उद्देश्य से, किसी भी राशि से कम

व्यापार प्रथा के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें पात्रों या अन्य सामग्रियों के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है।

अधिसूचित वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए; "

20. उपरोक्त परिभाषा में दो अभिव्यक्ति के साधन भी हैं और

देस। परिभाषा का पहला भाग शब्द के अर्थ को परिभाषित करता है।

मूल्य 'बिक्री के लिए धन की राशि के रूप में।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिभाषा के पहले भाग की व्याख्या का कोई नियंत्रण नहीं है या परिभाषा के दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती है और इसमें अन्य शामिल हैं -

पैराग्राफ संख्या में। 7 और 8, निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 7. यह स्पष्ट है कि धारा 2 (डी) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा

इसकी व्याख्या किसी भी तरह से नियंत्रित या प्रभावित नहीं है दूसरा भाग जिसमें परिभाषा में कुछ अन्य चीजें शामिल हैं।

यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है। क़ानून पर क्रेज़

लॉ (7th Edn., 1.214) कहता हैः

" एक व्याख्या खंड जो एक शब्द के अर्थ का विस्तार करता है इसका सामान्य अर्थ नहीं खोता है। लॉर्ड सेलबोर्न

रॉबिन्सन वी में कहा गया है। बार्टन-एक्लेस लोकल बोर्ड एसी पी।

801 :

' इस तरह का एक व्याख्या खंड रोकने के लिए नहीं है।

अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ को प्राप्त करने वाला शब्द

जब भी वह ठीक से लागू होगा, लेकिन सक्षम करने के लिए

अधिनियम में प्रयुक्त शब्द. जिसे किसी वस्तु पर लागू किया जाना है जिन पर यह सामान्य रूप से लागू नहीं होगा।

( जोर दिया गया)

इसलिए, परिभाषा का समावेशी भाग इसे रोक नहीं सकता है

इसके प्राकृतिक अर्थ को प्राप्त करने से मुख्य प्रावधान।

8. निर्माण के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, का पहला भाग

यह आग्रह करने का अधिकार कि धारा 2 (घ) का पहला भाग जो इसके समान है राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954, [2018] 14 एस. सी. आर. में धारा 2 (पी) का पहला भाग।

हिन्दुस्तान शुगर मिल्स v में समान शब्दों का वही अर्थ दिया जाना चाहिए। राजस्थान राज्य (1978) 4 एस. सी. सी. 271। उक्त अर्थ क्या है, हम अलग से विचार करेंगे। यदि, इसलिए, हिंदुस्तान शुगर मिल्स मामले के आधार पर पहले भाग की व्याख्या "माल ढुलाई शुल्क" को इसके प्राकृतिक अर्थ के भीतर लाने के रूप में की जानी है, तो अपीलार्थियों के लिए यह तर्क कि "पैकेजिंग शुल्क" की तरह इन "माल ढुलाई शुल्क" को भी धारा 2 (डी) में विशेष रूप से शामिल किया गया होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की परिभाषा, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति, दूसरी अभिव्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है। " और इसमें प्रशासक भी शामिल होगा। साधारण या लोकप्रिय अर्थ

धारा 3 (8) (बी) में आने वाले "राष्ट्रपति" शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए और परिभाषा का दूसरा भाग किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं होगा या जैसा कि ऊपर देखा गया है, परिभाषा के पहले भाग को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार की परिभाषा में, एक प्रशासक को तब पढ़ा जाएगा जब उसे ऊपर बताई गई परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य के लिए अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया हो। किसी भी वैधानिक नियम या किसी भी प्रतिनिधिमंडल को संदर्भित या रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिसके तहत प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में नामांकन करने का हकदार या अधिकृत है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में आने वाली केंद्र सरकार की परिभाषा को राष्ट्रपति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि प्रशासक के रूप में। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

मुद्दा संख्या 2

22. व्यवसाय के नियमों के नियम 4 (2) पर भरोसा करते हुए

पुडुचेरी सरकार, 1963 (इसके बाद "कार्य नियम" के रूप में संदर्भित) को नियम 48 के साथ पढ़ा जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि विधान सभा में नामांकन में सरकार का कार्य नियम 4 (2) के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रशासक को कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य के नियम बनाए गए हैं।

अनुच्छेद 239 और संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक, अधिनियम, 1963 की धारा 46 और इस संबंध में राष्ट्रपति को सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां। कार्य के नियमों में नियम 2 (च) का अर्थ हैः की सरकार पुडुचेरी "। नियम 3 में प्रावधान है कि सरकार का कार्य -

इन नियमों के अनुसार लेन-देन किया जाए। नियम 4, जिस पर कपिल सिब्बल द्वारा निर्भरता रखी गई है, निम्नलिखित प्रभाव से हैः

. लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

" 4. ( 1 ) जिन मामलों के संबंध में परिषद से अधिनियम की धारा 44 के तहत प्रशासक को उसके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने की अपेक्षा की जाती है, उनके संबंध में सरकार का कार्य अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और निपटाया जाएगा।

( 2 ) सरकार के शेष कार्य का लेन-देन और निपटान अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

( 3 ) उप-नियम (1) और उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद नियम (2), अध्याय 5 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को पूर्व निर्देश दिया जाएगा।

23. नियम 4 (1) उन मामलों के संबंध में सरकार के कार्य को संदर्भित करता है जिनके संबंध में धारा के तहत परिषद की आवश्यकता होती है।

प्रशासक को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए अधिनियम। अधिनियम, 1963 की धारा 44 (1) इस प्रकार हैः

" 44. मंत्रिपरिषद। ( 1 ) एक परिषद होगी प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री, जिनके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में प्रशासक की सहायता और सलाह देते हैं, जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय उन मामलों के जहां तक इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।

या किसी कानून द्वारा या उसके तहत किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक का प्रयोग करने के लिए

बशर्ते कि, किसी भी मामले पर प्रशासक और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, और ऐसा निर्णय आने तक यह प्रशासक के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां मामला उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या ऐसा निर्देश देना आवश्यक है।

उस मामले में जो वह आवश्यक समझता है।

a [x x x x]

b [x x x x] "

24. धारा 44 (1) उन मामलों के संबंध में कार्यों से संबंधित है जिनके लिए केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा नेआर कानून बनाने के लिए। सरकार [2018] 14 एस. सी. आर. के अन्य कार्य हो सकते हैं।

पुडुचेरी की विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, जो उन मामलों के संबंध में कार्यों से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी भी संसदीय कानून के तहत जिसके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, राज्य सरकार को सौंपी गई कोई भी शक्ति अधिकृत है या

संसदीय कानूनों के तहत किसी भी कार्य को करने के लिए प्रत्यायोजित।

25. नियम 4 (2) स्पष्ट रूप से "सरकार के शेष कार्य" को संदर्भित करता है, जो नियम 4 (1) के अंतर्गत नहीं आता है। कार्य नियमों के नियम 48 में नियम 4 के उप-(2) को संदर्भित किया गया है। नियम 48 इस प्रकार हैः

" 48. नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में और जिसके संबंध में इस अध्याय में पूर्वगामी नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, प्रशासक, यदि वह उचित समझता है, तो उस मामले के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निर्वहन करने से पहले अपनी परिषद या मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकता है।

26. नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नियम 48 के अनुसार, प्रशासक, यदि वह उचित समझता है, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले या तो अपनी परिषद या मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकता है या

केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, संसदीय कानून के अनुसार नामांकन करना केंद्र सरकार का काम है। 27. नियम 4 में होने वाले सरकार के कार्य को व्यवसाय होना चाहिए जो किसी भी कानून के तहत सरकार द्वारा किया जाना है।

पुडुचेरी से। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा एक निकाय का निर्माण कर सकती है, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेश या मंत्रिपरिषद के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए या दोनों के लिए ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

28. अनुच्छेद 239 ए (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'कानून' एक संसदीय कानून है। जब संविधान स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि यह संसद है

जो कानून द्वारा संघ के लिए विधानमंडल के गठन का प्रावधान कर सकता है।

क्षेत्र, यह अकेले संसद है जो अधिनियम, 1963 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधान सभा के गठन का प्रावधान कर सकती है। धारा 3 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान करती है जिसमें तीस सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे और तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। जब अनुच्छेद 239 ए द्वारा परिकल्पित संसदीय कानून केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है जिसमें नामांकन भी शामिल है, तो उक्त संविधान जिसमें नामांकन भी शामिल है, पुडुचेरी सरकार का कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार पुडुचेरी की विधानसभा में सदस्यों के नामांकन को कभी भी 'सरकार का शेष कार्य' अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है जैसा कि नियम में होता है।

4 ( 2 ) . जब नियम 4 (2) स्वयं विधान सभा में नामांकन के संदर्भ में आकर्षित नहीं होता है, तो नियम लागू होने का कोई अवसर नहीं होता है।

29. संविधान का अनुच्छेद 77 "भारत सरकार के कार्य संचालन" से संबंधित है। अनुच्छेद 77 उपखंड (3) में प्रावधान है कि "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए और उनके बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। उक्त व्यवसाय के मंत्री "। अनुच्छेद 77 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य का लेन-देन) बनाए हैं।

व्यवसाय) नियम, 1961। कार्य आबंटन नियम के नियम 2 और नियम 3 उप-नियम (1) जो इस मामले के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नलिखित हैं - प्रभावः

" 2. कार्य का आबंटन-भारत सरकार का कार्य इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवों और अधिकारियों में किया जाएगा (जिनमें से सभी को इसके बाद "विभाग" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विषयों का वितरण -

( 1 ) विभागों के बीच विषयों का वितरण होगा -

इन नियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में और

इसमें सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय या अन्य शामिल हैं।

संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित संगठन उनके विषयों और इस नियम के उप-नियम (2), (3) और (4) के साथ।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX। ”

XXX

XXX

XXX

30. दूसरी अनुसूची में "गृह मंत्रालय" शामिल है

क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पैरा 7 उपखंड (बी) के तहत पांडिचेरी क्षेत्र संघ का उल्लेख किया गया है। द्वितीय का प्रासंगिक उद्धरण गृह मंत्रालय, राज्य विभाग के तहत अनुसूची इस प्रकार हैः

" ( III) केंद्र शासित प्रदेश

7. विधायिका वाले क्षेत्रों का संघः

( (a) XXX

XXX

XXX

X

XX

( ख) केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरीः

संविधान के भाग VIII में निहित प्रावधानों के संदर्भ में केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले सभी मामले जहां तक ये केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 से संबंधित हैं, ऐसे सभी मामलों को छोड़कर

इन नियमों के तहत जो मामले हैं, वे विशेष रूप से भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को सौंपे गए हैं।

31. पैरा 7 (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले सभी मामले जहां तक ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से संबंधित हैं, संविधान का भाग VIII और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 राज्यों के विभाग को सौंपा गया है। इस प्रकार, अधिनियम, 1963 के तहत केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले सभी मामले, जिसमें धारा के. लक्ष्मीनारायण बनाम के तहत केंद्र सरकार को दी गई नामांकन की शक्ति भी शामिल है।

3 ( 3 ) इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय, राज्य विभाग को व्यापार नियमों के आवंटन के तहत सौंपा जाता है। इस प्रकार, अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत शक्ति का लेन-देन गृह मंत्रालय, राज्य विभाग में किया जाना है। राष्ट्रपति ने व्यवसाय के लेन-देन के लिए भारत सरकार (व्यवसाय का लेन-देन) नियम, 1961 बनाए हैं। (व्यवसाय का लेन-देन) नियम, 1961 का नियम 3 जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 3. मंत्रालयों द्वारा व्यवसाय का निपटान। - अन्य विभागों के साथ परामर्श करने और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उसकी समितियों और राष्ट्रपति को मामले प्रस्तुत करने के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 के तहत किसी विभाग को आवंटित सभी कार्यों का निपटारा सामान्य या विशेष विभाग द्वारा या उसके तहत किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के निर्देश "।

32. इस प्रकार, कार्य संचालन नियमों के अनुसार, पुडुचेरी की विधानसभा में नामांकन का मामला अन्य विभागों के साथ परामर्श करने और मामलों को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और इसकी समितियों और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के संबंध में नहीं है, उपरोक्त कार्य का निपटान सामान्य या विशेष आदेशों या गृह मंत्री के प्रभारी मंत्री के निर्देशों के तहत या उसके तहत किया जाना है।

पुडुचेरी सरकार का व्यवसाय। यह अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार केंद्र सरकार का एक व्यवसाय है जिसे भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) के अनुसार किया जाना है। नियम, 1961 और भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

अंक संख्या 3

चाहे संघवाद के सिद्धांत हों या सहकारी

वर्तमान मामले में संघवाद का उल्लंघन किया गया है? 34. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा लंबे विचार-विमर्श के बाद अस्तित्व में आया है।

हमारे प्राचीन राष्ट्र की आकांक्षाएं और संस्कृति। संविधान निर्माताओं से पहले, दुनिया के विभिन्न संविधानों पर विचार किया जाना था, उन्हें शामिल किया जाना था और उन पर भरोसा किया जाना था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वश्रेष्ठ (2018) 14 एस. सी. आर. लिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और अन्य सहित विभिन्न देशों के संविधान का हिस्सा। जब संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर बहस हो रही थी, तो भारतीय संविधान की प्रकृति एक प्रासंगिक मुद्दा था जिस पर विचार-विमर्श किया जाना था, जिस पर विचार किया जाना था और जिस पर निर्णय लिया जाना था। क्या संविधान एक होना चाहिए, जिसका अमेरिका जैसे संघीय देशों में पालन किया जा रहा है या यह एकात्मक संविधान होना चाहिए, इस पर विचार-विमर्श और विचार किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एकात्मक संविधान और संघीय संविधान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रारूप संविधान एक संघीय संविधान है। 04.11.1948 के विचार-विमर्श में, खंड। सप्तम पृष्ठ 33, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित कहा गया था;

" संविधान के दो प्रमुख रूप इतिहास में जाने जाते हैं - एक को एकात्मक और दूसरे को संघीय कहा जाता है। दोनों आवश्यक हैं।

एकात्मक संविधान की विशेषताएँ इस प्रकार हैंः ( 1 ) की सर्वोच्चता

केंद्रीय राजनीति और (2) सहायक संप्रभु की अनुपस्थिति

राजनीति. इसके विपरीत, एक संघीय संविधान को चिह्नित किया गया हैः ( 1 ) द्वारा

एक केंद्रीय राजनीति और सहायक राजनीति का साथ-साथ अस्तित्व,

और (2) प्रत्येक को सौंपे गए क्षेत्र में संप्रभु होना। दूसरे शब्दों में कहें तो। संघ का अर्थ है दोहरी राजनीति की स्थापना। द.

प्रारूप संविधान, संघीय संविधान है क्योंकि यह स्थापित करता है जिसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। के तहत यह दोहरी राजनीति

प्रस्तावित संविधान में केंद्र में संघ शामिल होगा और परिधीय राज्यों में से प्रत्येक को संप्रभु शक्तियां प्राप्त थीं

द्वारा क्रमशः उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में प्रयोग किया जाना संविधान।

35. डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि स्पष्ट अंतर हैं।

अमेरिकी संघ के साथ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सहित सभी संघीय प्रणालियों को संघवाद के एक तंग सांचे में रखा गया है। यह अपने रूप और आकार को नहीं बदल सकता है चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। हमारा संविधान का मसौदा समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। संघीय संविधान की आवश्यक विशेषताओं से निपटने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने कहाः

एक संघीय संविधान लिखित नहीं हो सकता है।

संविधान और एक लिखित संविधान अनिवार्य रूप से कठोर होना चाहिए।

संविधान। संघीय संविधान का अर्थ है संप्रभुता का विभाजन। संविधान के कानून की मंजूरी से कम नहीं

संघीय सरकार और राज्यों के बीच, दो के साथ

आवश्यक परिणाम (1) कि संघीय द्वारा कोई भी आक्रमण।

लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

राज्यों को सौंपे गए क्षेत्र में सरकार और इसके विपरीत संविधान का उल्लंघन है और (2) इस तरह का उल्लंघन न्यायसंगत है।

केवल न्यायपालिका द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला।

36. यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा के समक्ष,

सदस्यों द्वारा लेंट उठाया गया था कि बहुत अधिक है

संघ में एकीकरण। उपरोक्त शिकायत का जवाब देते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है।

37. डॉ. अम्बेडकर दिनांकित विचार-विमर्श में 25.11.1949, खंड। XI पृष्ठ

मददः

" संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु है जिसका मैं संदर्भ देने का प्रस्ताव करता हूं। जमीनी स्तर पर गंभीर शिकायत की गई है।

कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो गया है और राज्यों को नगरपालिकाओं तक सीमित कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल एक अतिशयोक्ति है, बल्कि इस गलतफहमी पर भी आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सवाल है, तो उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह आधारित है। मूल सिद्धांत

संघवाद यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण है

केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया गया था। संविधान यही करता है। हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यपालिका के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं प्राधिकरण। इस मामले में केंद्र और राज्य समान हैं। यह देखना मुश्किल है कि इस तरह के संविधान को केंद्रीकरण कैसे कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि संविधान केंद्र को अपने विधायी और कार्यकारी अधिकार के संचालन के लिए किसी भी अन्य संघीय संविधान की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ऐसा हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हों न कि राज्यों को।

लेकिन ये विशेषताएं संघवाद का सार नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संघवाद की मुख्य पहचान संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के विभाजन में निहित है। यह हमारे अंदर सन्निहित सिद्धांत है

संविधान। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती।

38. संविधान की प्रकृति और चरित्र के लिए आया था

इस न्यायालय के समक्ष कई संविधान पीठों में उपहास, जहां न्यायालय ने भारत के संविधान की मौलिक विशेषता का उल्लेख किया। ए.

-विशेष संदर्भ [2018] 14 एस. सी. आर. में इस न्यायालय की न्यायाधीश संविधान पीठ।

1964 की सं. 1, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 ने अभिनिर्धारित किया कि

संघवाद निकायों के बीच कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों का वितरण है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पैराग्राफ 39 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 39. हमारी विधानसभाओं के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं।

संविधान स्वयं और सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर प्रयोग किया जा सकता है; लेकिन सूचियों से परे, विधानसभाएं यात्रा नहीं कर सकती हैं। वे निस्संदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन करना

उन्हें संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है; लेकिन शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, संसद सहित हमारी विधानसभाओं की विधायी सर्वोच्चता आम तौर पर भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है

संविधान। यदि विधायिकाएँ उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्रों से परे कदम उठाती हैं, या अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर काम करती हैं, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन करती हैं जो उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, तो उनके विधायी कार्यों को भारत में अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारी विधानसभाओं के पास पूर्ण शक्तियां हैं, वे सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं

की सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित

संविधान "।

39. केशवानंद भारती बनाम मामले में इस न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में। केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 ने संवैधानिक सिद्धांतों को एक नया आयाम दिया। इस न्यायालय ने बहुमत के फैसले से घोषणा की कि संविधान की मूल विशेषता को संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। सी. जे. सीकरी ने बहुमत से निर्णय देते हुए कहा था कि संविधान का संघीय चरित्र संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है।

40. शेलत और ग्रोवर, जे. जे. सहमति देने वाली राय देते हुए

यह भी कहा कि हमारे संविधान में संघीय संरचना के सभी आवश्यक तत्व हैं। पैरा 486 में निम्नलिखित कहा गया हैः ( केशवानंद भारती मामला, एस. सी. सी. पीपी. 408-09 )

" 486. संविधान में एक संघीय संरचना के सभी आवश्यक तत्व हैं जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में था, संघवाद का सार दोनों के बीच शक्तियों का वितरण है।

लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

संघ या संघ और राज्य या प्रांत। सभी विधानसभाओं के पास पूर्ण शक्तियां होती हैं लेकिन ये संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वे इसमें निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं (प्रति गजेंद्रगडकर, सी. जे. विशेष में)।

196435 का संदर्भ सं. 1)। सभी पदाधिकारी, चाहे वे हों विधायक, कार्यपालिका या न्यायपालिका के सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और अपना अधिकार प्राप्त करते हैं और

इसके प्रावधानों से अधिकार क्षेत्र। संविधान ने इस देश की न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों को समझने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम सौंपा है

( एस. सी. आर. पी. 446)। यह एक लिखित और नियंत्रित संविधान है।

41. पुनः राजस्थान राज्य में सात न्यायाधीशों की पीठ बनाम। संघ दिवस, (1977) 3 एस. सी. सी. 592 को संविधान की प्रकृति पर विचार करने का अवसर मिला। एम. एच. बेग, सी. जे., बहुमत निर्णय देते हुए,

आरए 57 में कहा गया हैः ( एस. सी. सी पी. 622)

" 57. दो शर्तों के अस्तित्व के लिए Dicey अभिनिर्धारित

संघवाद इस प्रकार थाः सबसे पहले, 'कैंटन जैसे देशों का एक निकाय

स्विट्जरलैंड, अमेरिका के उपनिवेश, या के प्रांत कनाडा, स्थानीयता, इतिहास, नस्ल से इतना निकटता से जुड़ा हुआ है, या

जैसे, अपने निवासियों की नज़रों में, आम राष्ट्रीयता की छाप को सहन करने में सक्षम होने के लिए; और, दूसरी बात, बिल्कुल

एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए आवश्यक है 'एक का अस्तित्व

निवासियों के बीच भावना की बहुत अजीब स्थिति

देशों का। उन्होंने कहा कि एकजुट होने की इच्छा के बिना संघवाद का कोई आधार नहीं हो सकता है। लेकिन, अगर एकजुट होने की इच्छा जाती है

सरकार के सभी महत्वपूर्ण मामलों में एक एकीकृत समग्र बनाने की सीमा, यह एक संघीय के बजाय एक एकात्मक उत्पन्न करता है

संविधान। इसलिए, उन्होंने कहा, एक संघीय राज्य "एक राजनीतिक राज्य है।

राष्ट्रीय एकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का इरादा राज्य के अधिकारों का रखरखाव "। जिस हद तक राज्य के अधिकारों को अलग से संरक्षित और संरक्षित किया जाता है, वह बताता है कि किस हद तक

अभिव्यक्ति दो विरोधाभासी आग्रहों में से एक को दी जाती है ताकि सरकार के मामलों में एकता के बिना एक संघ हो। एक अर्थ में, इसलिए, भारतीय संघ संघीय है। लेकिन, इसकी सीमा

इसमें संघवाद काफी हद तक एक ऐसे देश की प्रगति और विकास की जरूरतों से प्रभावित होता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वित और सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना पड़ता है। ऐसी प्रणाली में राज्य (2018) 14 एस. सी. आर. का समर्थन नहीं कर सकते।

केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित तरीके से देश के वैध और व्यापक रूप से नियोजित विकास के मार्ग में। ”

42. आगे पैरा 60 में डॉ. अम्बेडकर का उल्लेख करते हुए कहा गया थाः ( राजस्थान राज्य मामला, एस. सी. सी. पी. 623)

" 60. यद्यपि डॉ. अम्बेडकर ने सोचा था कि हमारा संविधान संघीय है "क्योंकि यह स्थापित करता है जिसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है", उन्होंने संविधान सभा में यह भी कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने "संघवाद के तंग सांचे" से परहेज किया था जिसमें अमेरिकी संविधान जाली था। डॉ. अम्बेडकर, प्रधानाचार्यों में से एक

हमारे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान को आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और साथ ही संघीय दोनों मानते हैं

समय और परिस्थितियाँ '।

43. नौ न्यायाधीशों की पीठ को एस. आर. बोम्मई बनाम में भारत के संविधान की प्रकृति पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला। भारत संघ,

( 1994 ) 3 एस. सी. सी. 1, जे. अहमदी, ने अनुच्छेद 14 में संविधान के संघीय चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा थाः ( एससीसी पीपी। 68-69 )

" 14. यह समझने के लिए कि क्या हमारा संविधान वास्तव में संघीय है, संघवाद की वास्तविक अवधारणा को जानना आवश्यक है। डाइसी इसे राज्यों के एक निकाय के लिए एक राजनीतिक साजिश कहते हैं जो संघ चाहते हैं लेकिन एकता नहीं चाहते हैं। इसलिए संघवाद एक अवधारणा है। जो अपनी मौलिक राजनीतिक अखंडता का त्याग किए बिना अलग-अलग राज्यों को एक संघ में एकजुट करता है। इसलिए, अलग-अलग राज्य एकजुट होने की इच्छा रखते हैं ताकि सभी सदस्य राज्य सभी के लिए लागू बुनियादी नीतियों के निर्माण में भाग ले सकें और इसमें भाग ले सकें।

ऐसी बुनियादी नीतियों के अनुसरण में किए गए निर्णयों का निष्पादन। इस प्रकार संघ का सार संघ और राज्यों का अस्तित्व और उनके बीच शक्तियों का वितरण है। इसलिए, संघवाद अनिवार्य रूप से एक संघीय समझौते में शक्तियों के सीमांकन का तात्पर्य है।

जे. अहमदी ने आगे कहा कि भारत के संविधान को अलग तरह से वर्णित किया गया है, अधिक उपयुक्त रूप से "अर्ध-संघीय" के रूप में क्योंकि यह एक मिश्रण है। संघीय और एकात्मक तत्वों का, बाद वाले की ओर अधिक झुकाव।

44. बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. का मानना था कि संस्थापक पिता एक मजबूत केंद्र स्थापित करना चाहते थे। इस अतीत के इतिहास के आलोक में

उप-महाद्वीप, यह शायद एक स्वाभाविक और आवश्यक निर्णय था। पैरा 275 और 276 में निम्नलिखित कहा गया हैः ( एस. आर. बोम्मई मामला, एस. सी. सी. पीपी। 215-17 )

. लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

" 275. संविधान के प्रावधानों की समीक्षा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक संघ का निर्माण करते समय, संस्थापक पिता एक मजबूत केंद्र स्थापित करना चाहते थे। इस उप-महाद्वीप के पिछले इतिहास के आलोक में, यह शायद एक स्वाभाविक और आवश्यक निर्णय था। भारत जैसी विविधतापूर्ण भूमि में, एक मजबूत केंद्र शायद एक आवश्यकता है। केंद्र के प्रति यह पूर्वाग्रह वितरण में परिलक्षित होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी प्रमुखों का गठन। कानून के सभी अधिक महत्वपूर्ण प्रमुखों को सूची I में रखा गया है। यहां तक कि सूची II में उल्लिखित विधायी प्रमुखों में से कई, उदाहरण के लिए, प्रविष्टियां 2,3,13,17,23,24,26,27,32,33,50,57 और 63 या तो सीमित हैं या सूची I में कुछ प्रविष्टियों के अधीन हैं।

दूसरी हद तक। समवर्ती सूची (सूची III) में भी, संसदीय अधिनियम को प्रधानता दी जाती है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या ऐसा अधिनियम उसी विषय पर राज्य अधिनियम के लिए समय की दृष्टि से पहले या बाद में है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। 42 वें संशोधन द्वारा, सूची II में कुछ प्रविष्टियों को हटा दिया गया और/या अन्य सूचियों में स्थानांतरित कर दिया गया। सबसे बढ़कर, अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्यों में से विलय या विभाजन द्वारा नए राज्यों का गठन करने के साथ-साथ राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने, कम करने या बदलने का अधिकार देता है। ..... 276. तथ्य यह है कि हमारे संविधान की योजना के तहत, राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर, राज्य सर्वोच्च हैं। केंद्र अपनी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। विशेष रूप से, अदालतों को एक दृष्टिकोण, एक व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए, जिसका प्रभाव या

राज्यों के लिए आरक्षित शक्तियों को कम करने का प्रभाव पड़ता है। यह आम जानकारी की बात है कि पिछले कई दशकों से दुनिया भर में केंद्र सरकारों को मजबूत करने की प्रवृत्ति है, चाहे वह केंद्र सरकार की प्रगति का परिणाम हो।

तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्र या अन्यथा, और यह कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केंद्र राज्यों के पक्ष में उस संविधान में स्पष्ट पूर्वाग्रह के बावजूद कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। इन सब बातों से अदालत को राज्यों की शक्तियों को जानबूझकर कम करने से बचना चाहिए। मान लीजिए कि भारतीय संविधान में संघवाद प्रशासनिक विषय नहीं है

सुविधा, लेकिन सिद्धांत में से एक हमारे अपने का परिणाम ऐतिहासिक प्रक्रिया और जमीनी वास्तविकताओं की मान्यता। श्री एम. सी. सीतलवाड़ ने [2018] 14 एस. सी. आर. में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की है।

उनके टैगोर लॉ व्याख्यान "भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य संबंध" (ईस्टर्न लॉ हाउस, कलकत्ता, 1974)। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में भारतीय संघ की प्रकृति पृष्ठभूमि, विधायी शक्तियों का वितरण, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध, कराधान की शक्तियां, संबंधित प्रावधान

व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, सभी को विश्लेषणात्मक रूप से निपटाया गया है। यह संभव नहीं है और न ही वर्तमान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

उन्हें संदर्भित करना। यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे संविधान में निश्चित रूप से राज्यों के प्रति केंद्र के प्रति पक्षपात है [ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड v. राजस्थान राज्य 3, एस. सी. आर. पी. 540 ] . इस बात पर जोर देना भी उतना ही आवश्यक है कि अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे एक संविधान द्वारा नाजुक तरीके से तैयार की गई संवैधानिक योजना को प्रभावित न करें। व्याख्या की प्रक्रिया "।

45. कुलदिप नायर बनाम में एक संविधान पीठ। भारत संघ, (2006) 7 एस. सी. सी. 1 ने माना कि भारत पारंपरिक अर्थों में एक संघीय राज्य नहीं है और यह विभिन्न राज्यों के बीच समझौते द्वारा गठित एक वास्तविक संघ नहीं है और इसे अर्ध-संघ और इसी तरह की अन्य अवधारणाओं के रूप में वर्णित किया गया है।

46. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ, (2017) 12 एस. सी. सी. 1

संविधान के भाग XIII के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करते हुए भारतीय संविधान में संघवाद की प्रकृति पर विचार करने का अवसर मिला। डॉ. टी. एस. ठाकुर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि वे उस समय न्यायालय के लिए बोल रहे थे, ने संविधान में निहित संघवाद की प्रकृति को देखा। संविधान पीठ ने कहा कि भले ही हमारा संविधान अपने चरित्र में सख्ती से संघीय न हो, लेकिन संघीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं।

संविधान। पैराग्राफ 32 में, संविधान पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" 32. संविधान देश के शासन के लिए एक संघीय संरचना प्रदान करता है या नहीं, यह इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी कतार का विषय रहा है, जिनमें से सभी का संदर्भ अनावश्यक हो सकता है, लेकिन कानूनी स्थिति काफी अच्छी तरह से तय प्रतीत होती है कि संविधान एक अर्ध-संघीय व्यवस्था प्रदान करता है।

केंद्र के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह वाला चरित्र। द. घोषणाओं ने इस प्रस्ताव को मान्यता दी कि भले ही संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में अपने चरित्र में सख्ती से संघीय न हो, जहां संप्रभु राज्य एक साथ आए थे।

एक संघीय संघ का गठन करना, जहां प्रत्येक राज्य एक विशेषाधिकार का आदेश देता है।

लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

अपना खुद का संविधान होने के कारण, एक संघीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं जो इसे एक अर्ध-संघीय संविधान बनाता है, यदि वास्तव में संघीय नहीं है और सख्त संघीय है। इस विषय पर इस न्यायालय के निर्णयों की लंबी कतार में जो दो निर्णय सामने आते हैं, उनका इस स्तर पर संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। इन मामलों में से पहला केशवानंद भारती मामले 15 में इस न्यायालय का प्रसिद्ध निर्णय है, जिसमें इस न्यायालय की तेरहवीं न्यायाधीश पीठ, सीकरी, सी. जे. (उस समय उनकी प्रधानता के रूप में), इस बारे में बात करती है कि क्या

भारत का संविधान चरित्र में संघीय था और यदि ऐसा है तो क्या संविधान का संघीय चरित्र संविधान की मूल विशेषता है। सी. जे. सीकरी ने संविधान की मूल विशेषता का सारांश निम्नलिखित शब्दों में दियाः ( एस. सी. सी पी. 366 , पैरा 292-94)

" 292. ..... वास्तविक स्थिति यह है कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि परिणामस्वरूप संविधान की मूल नींव और संरचना समान रहे। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं -

विशेषताएँः

( 1 ) संविधान की सर्वोच्चता;

( 2 ) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप;

( 3 ) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र; ( 4 ) विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण

और न्यायपालिका; ( 5 ) संविधान का संघीय चरित्र।

293. उपरोक्त संरचना मूल नींव यानी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर बनी है। यह सर्वोच्च महत्व का है। यह किसी भी प्रकार के संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता है।

नष्ट कर दिया। 294. उपरोक्त आधार और उपरोक्त बुनियादी विशेषताओं को न केवल प्रस्तावना से बल्कि संविधान की पूरी योजना से आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं।

उसी प्रभाव के लिए शेलट और ग्रोवर, जे. जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। जिन्होंने घोषणा की कि संविधान का संघीय चरित्र इसकी मूल संरचना का एक हिस्सा है। "[2018] 14 एस. सी. आर.

47. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (ऊपर) में हममें से एक (अशोक भूषण, जे) ने भी भारतीय संविधान के स्वरूप पर विचार व्यक्त किए हैं, जो यह वही था जो बहुमत द्वारा व्यक्त किया गया था। अनुच्छेद 944 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 944. इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारतीय संविधान मूल रूप से संघीय है और इसने एक संघीय प्रणाली की पारंपरिक विशेषताओं को चिह्नित किया है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व।

संघवाद भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। हालाँकि, संविधान सभा में बहस सहित संविधान के इतिहास से संकेत मिलता है कि शक्तियों के वितरण को भारत की एकता और अखंडता के उद्देश्य से एक मजबूत केंद्र बनाने के साथ आकार दिया गया था। आवंटित क्षेत्रों में राज्यों की संप्रभुता है। भारतीय संविधान को संघवाद के पारंपरिक सांचे में नहीं डाला जा सकता है। संघवाद की पारंपरिक अवधारणा को ढांचे में आवश्यक संशोधन के साथ अपनाया गया है

देश की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुरूप संविधान। उपरोक्त चर्चा का कुल योग यह है कि संविधान में संघवाद संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित है और राज्यों और केंद्र दोनों की शक्तियों का प्रयोग संविधान के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

48. हाल ही में संविधान पीठ का एक निर्णय, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ और एक अन्य, (2018) 8 एस. सी. सी. 501 में इस न्यायालय का एक निर्णय है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जैसा कि वे उस समय संविधान पीठ की ओर से बोल रहे थे, ने संघीय संविधान की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया और पैराग्राफ संख्या में निम्नलिखित निर्धारित किया। 95 , 96 और 108:

" 95. आम बोलचाल में, संघवाद एक प्रकार का शासन है जिसमें राजनीतिक शक्ति को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। ये इकाइयाँ

केंद्र/संघ, राज्य और नगरपालिकाएँ हैं। पारंपरिक न्यायविद

प्रो. के. सी. व्हीयर ने स्वतंत्र पर जोर दिया

विभिन्न शासी इकाइयों का कार्यकरण और, इस प्रकार, परिभाषित करें " संघवाद "शक्तियों को विभाजित करने की एक विधि के रूप में ताकि सामान्य/केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारें प्रत्येक एक क्षेत्र के भीतर हों

समन्वय और स्वतंत्र। प्रो. कहाँः

. लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

" सरकार की प्रणालियाँ मुख्य रूप से विभाजन पर आधारित हैं।

केंद्र और क्षेत्रीय प्राधिकरण के बीच शक्तियों का प्रत्येक

जो अपने क्षेत्र में दूसरे के साथ समन्वय कर रहा है

उनके रूप में स्वतंत्र, और यदि ऐसा है, तो क्या वह सरकार संघीय है?

96. हालाँकि, आधुनिक न्यायविद इस विचार पर जोर देते हैं कि

परस्पर निर्भरता और संघवाद को सरकार के एक रूप के रूप में परिभाषित करें जिसमें एक सामान्य/केंद्रीय के बीच शक्तियों का विभाजन होता है।

और कई क्षेत्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक अपने क्षेत्र के भीतर

एक दूसरे पर निर्भर रहें और एक दूसरे के साथ समन्वय करें।

108. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि दोनों अवधारणाएं, अर्थात् लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा शासन और संघवाद, हमारे संवैधानिक मूल्यों में दृढ़ता से निहित हैं। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रकृति चाहे जो भी हो, चाहे वह पूरी तरह से संघीय हो या अर्ध-संघीय, तथ्य यह है कि संघवाद हमारे संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है क्योंकि प्रत्येक राज्य एक घटक इकाई है जिसमें एक विशेष विधानमंडल और कार्यपालिका होती है जिसे उसी प्रक्रिया द्वारा चुना और गठित किया जाता है जैसा कि भारतीय संविधान में है।

केंद्र सरकार का मामला। परिणाम यह है कि

भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित और संरक्षित करने के विशिष्ट उद्देश्य को कोई भी समझ सकता है। यह हमारी एक विशेष विशेषता है

संवैधानिक संघवाद "।

49. संविधान पीठ ने सहकारी की अवधारणा पर भी ध्यान दिया

राज्य बनाम भारत संघ, (1977) 3 एस. सी. सी. 592 में इस न्यायालय के पहले के एक फैसले का उल्लेख करते हुए

ग्राफ संख्या 121 और 122:

" 121. राजस्थान राज्य में v. भारत संघ, न्यायालय ने सहकारी संघवाद की अवधारणा का संज्ञान लिया जैसा कि माना जाता है जी. ऑस्टिन और ए. एच. बिर्च द्वारा जब यह देखा गयाः ( एस. सी. सी पी. 622 , पैरा

58 )

" 58. श्री ऑस्टिन ने सोचा कि हमारी प्रणाली, अगर इसे संघीय कहा जा सकता है, तो इसे "सहकारी संघवाद" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह

इस शब्द का उपयोग एक अन्य लेखक श्री ए. एच. बिर्च ने किया था (देखें

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद, वित्त और सामाजिक विधान, पी। 305 ) , एक प्रणाली का वर्णन करने के लिए जिसमें:

..... सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग का अभ्यास, [2018] 14 एस. सी. आर. से भुगतान पर क्षेत्रीय सरकारों की आंशिक निर्भरता।

सामान्य सरकारें और यह तथ्य कि सामान्य सरकारें, सशर्त अनुदान के उपयोग से, अक्सर उन मामलों में विकास को बढ़ावा देती हैं जो संवैधानिक रूप से हैं।

क्षेत्रों को सौंपा गया।



122. हमने संघीय सहयोग की वैचारिक अनिवार्यता पर ध्यान दिया है क्योंकि संवैधानिक दर्शन को बनाए रखने में इसकी सकारात्मक भूमिका है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि यद्यपि ऊपर उल्लिखित अधिकारी "राज्य" शब्द के संवैधानिक अर्थ में भारत संघ और राज्य सरकारों से संबंधित हैं, फिर भी यह अवधारणा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लागू होती है क्योंकि इसका विशेष दर्जा और अनुच्छेद 239-एए और अन्य अनुच्छेदों में नियोजित भाषा है।

50. सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा को ग्राफ संख्या में भी देखा गया था। 110 और 111 निम्नलिखित शब्दों में:

" 110. संविधान सभा, संघीय व्यवस्था तैयार करते हुए

हमारे संविधान के चरित्र ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें स्पष्ट रूप से काम करेंगी। यह कभी भी संविधान सभा का इरादा नहीं हो सकता था कि अर्ध-संघीय लहजे की आड़ में

जो अनावश्यक रूप से एक विरोधाभासी सिद्धांत के लिए दरवाजे खोल देगा या धीरे-धीरे अराजकतावाद को आमंत्रित करने के लिए एक कदम उठाएगा। बल्कि, दृष्टि हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सुनहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को समान रूप से संकेत देता है। अंतिम उद्देश्य एक समग्र संरचना होना है।

111. उपरोक्त विचार, बदले में, दोनों के बीच समन्वय की मांग करता है

संघ और राज्य सरकारें। संघ और राज्यों को एक सहयोगी/सहकारी संघीय ढांचे को अपनाने की आवश्यकता है इस समन्वय को प्राप्त करने के लिए "।

51. एक अन्य अवधारणा जिस पर ध्यान दिया गया और जिसे विस्तृत किया गया, वह व्यावहारिक संघवाद का प्रभाव था। पैराग्राफ के. लक्ष्मीनारायणन बनाम में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

" 123. इस संदर्भ में, हम एक सहायक मुद्दे, अर्थात् व्यावहारिक संघवाद से भी निपट सकते हैं। उक्त अवधारणा की सराहना करने के लिए, हमें संविधान के तहत परिकल्पित संघवाद की प्रकृति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाए कि संघवाद की आवश्यक विशेषताएँ जैसे सरकारों की द्वैतता,

संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण

सरकारें, संविधान की सर्वोच्चता, एक लिखित का अस्तित्व संविधान और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान के अंतिम व्याख्याकारों के रूप में अदालतों के अधिकार सभी हमारे अधीन मौजूद हैं।

संवैधानिक योजना। लेकिन साथ ही, संविधान की कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें संघीय चरित्र से विचलन के रूप में बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है। संक्षेप में, हम इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए इनमें से कुछ विशेषताओं का संकेत दे सकते हैं कि हालांकि हमारे संविधान का व्यापक रूप से एक संघीय चरित्र है, फिर भी इसमें कुछ उल्लेखनीय एकात्मक विशेषताएं भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदल या बदल सकती है। आपातकाल के दौरान, केंद्रीय संसद को राज्य सूची के तहत मामलों के संबंध में कानून बनाने, राज्यों को निर्देश देने और केंद्रीय अधिकारियों को राज्य सूची में मामलों को निष्पादित करने का अधिकार है। इसके अलावा, संघ और राज्य के कानूनों के बीच विसंगति के मामले में, संघ कानून प्रबल होगा। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति और राज्यपाल के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है।

राष्ट्रपति इस तरह के विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा, एक राज्य विधानमंडल को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा लागू किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है।

52. उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है, जो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ने इसे अपनाया है

संघीय संरचना। हालाँकि, यह संघवाद के सख्त सांचे में नहीं है जैसा कि सिद्धांत रूप में समझा जाता है। यही कारण है कि इस न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय कहा है, लेकिन संघीय प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं संविधान में निहित हैं और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में प्रतिबिंबित होती हैं जो हैं: ( i) संघ और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों का वितरण, (ii) ऐसी विधायी और कार्यकारी शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा ही किया जाता है, और (iii) व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

संवैधानिक प्रावधान और किसी भी विवाद या संदेह के मामले में वैध रूप से निर्धारित।

53. सहकारी संघवाद, सहयोगात्मक संघवाद और व्यावहारिक संघवाद की अवधारणाओं पर विचार किया गया है। राज्य में संविधान पीठ (एन. सी. टी. दिल्ली) (ऊपर) अनिवार्य रूप से संलग्न है

एक ही अवधारणा, अर्थात कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, केंद्र और राज्यों दोनों को संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना होगा और संविधान द्वारा दूसरों के लिए आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना होगा। 54. भारत के संविधान में अपनाया गया संघवाद का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है जैसा कि ऊपर देखा गया है। प्रस्तुतिकरण, जिसका उत्तर वर्तमान मामले में दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का वर्तमान मामले में किसी भी तरह से त्याग किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा किए गए नामांकनों द्वारा।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार की सहमति। अनुच्छेद 239 ए जिसके द्वारा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण का प्रावधान संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा किया गया था, जो संसद को कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक निकाय बनाने का अधिकार देता है, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए, या एक मंत्रिपरिषद, या दोनों के लिए ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जो कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, संविधान ने अनुच्छेद 239 ए द्वारा संसद को ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया है जो कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह स्वयं संविधान है, जो संसद को केंद्र शासित प्रदेश के संविधान के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 239 ए द्वारा अनुध्यात निकाय के रूप में विधानमंडल एक निकाय है, चाहे वह निर्वाचित हो या निर्वाचित।

नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित और अधिनियम, 1963 की धारा 3, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली तीस सीटों और केंद्र सरकार द्वारा किए गए नामांकन द्वारा तीन सीटों का प्रावधान करती है, हम यह देखने में विफल हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून या केंद्र सरकार द्वारा किया गया नामांकन संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे करता है। द. केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायी निकाय का गठन संविधान द्वारा संसद को सौंपा गया है और अधिनियम, 1963 के संवैधानिक प्रावधान या प्रावधानों में कोई संकेत नहीं है कि नामांकन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सरकार की सहमति से किया जाना है, हम श्री कपिल के. लक्ष्मीनारायणन बनाम के तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए नामांकनों से संघीय सिद्धांतों या सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। संघवाद की अवधारणा स्वयं संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण की परिकल्पना करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश, आम तौर पर, केंद्र (यानी केंद्र सरकार) के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इन्हें 'केंद्र शासित प्रदेश' कहा जाता है। यही कारण है कि वे राष्ट्रपति के प्रशासनिक नियंत्रण में शासित होते हैं।

भारत से। अनुच्छेद 239 के पीछे यही स्पष्ट उद्देश्य है। हालांकि, अनुच्छेद 239 ए के अनुसार पुडुचेरी के संबंध में संघ की शक्ति सीमित सीमा तक कम हो गई है। साथ ही, यह संवैधानिक प्रावधान, अर्थात अनुच्छेद 239 ए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में स्वयं विधान परिषद के गठन की परिकल्पना आंशिक रूप से नामांकन द्वारा और आंशिक रूप से चुनाव द्वारा की गई है। इसके अलावा, विधान परिषद में नामित करने का विशिष्ट अधिकार कानून द्वारा यानी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस प्रकार संघीय सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाता है और संघीय नियमों के उल्लंघन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नामांकन में सिद्धांत निराधार हैं।

अंक संख्या 4 और 5

55. एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण दोनों मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है।

"संवैधानिक परंपरा" शब्द प्रोफेसर ए. वी. डाइसी द्वारा गढ़ा गया है। 1885 में, "संविधान के कानून" के अध्ययन के लिए अपने परिचय में, के सम्मेलनों की प्रकृति से संबंधित अध्याय में

संविधान, प्रोफेसर डाइसी कहते हैंः

संविधान की परंपराएं संक्षिप्त नियमों में हैं

66

शेष के पूरे अभ्यास को विनियमित करने का इरादा

क्राउन की विवेकाधीन शक्तियाँ, क्या ये शक्तियाँ हैं

स्वयं राजा द्वारा या द्वारा प्रयोग किया गया

99

मंत्रालय।

56. आगे विस्तार से बताते हुए प्रो. डाइसी स्टेट्सः

परिणाम यह है कि के सम्मेलनों

उस तरीके के बारे में समझ, जिसमें कई सदस्य संप्रभु विधायी निकाय, जिसे जैसा कि याद किया जाएगा, है

"संसद में रानी", प्रत्येक को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए

प्राधिकरण, चाहे उसे क्राउन का विशेषाधिकार कहा जाए या

संसद के विशेषाधिकार। हालाँकि, अब तक सबसे अधिक

हमारी कई और महत्वपूर्ण संवैधानिक समझ [2018] 14 एस. सी. आर. का उल्लेख करती है।

यदि हम संविधान की परंपराओं को उस तरीके को निर्धारित करने वाले नियमों या रीति-रिवाजों के रूप में मानते हैं जिसमें कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्ति, या तकनीकी भाषा में विशेषाधिकार, (यानी राष्ट्र द्वारा अपेक्षित) को नियोजित किया जाना चाहिए, तो यह संक्षिप्तता और स्पष्टता की ओर ले जाएगा।

57. प्रोफेसर डाइसी ने सम्मेलनों के अपने उपचार में

संविधान ने माना है कि संविधान के सम्मेलनों में रीति-रिवाज, प्रथाएं, सिद्धांत और उपदेश शामिल हैं जो न्यायालयों द्वारा लागू या मान्यता प्राप्त नहीं हैं, कानून का नहीं, बल्कि संवैधानिक या राजनीतिक नैतिकता का एक निकाय बनाते हैं। डाइसी का यह कथन कि संवैधानिक सम्मेलन कानूनों का निकाय नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक या राजनीतिक नैतिकता है, बहस और चर्चा का विषय था। सर आइवर जेनिंग्स ने अपने ग्रंथ "द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन" में प्रोफेसर डाइसी द्वारा बनाए गए कानूनों और परंपराओं के बीच के अंतर को देखा, लेकिन राय दी कि अंतर स्पष्ट और स्पष्ट प्रतीत होता है, यह किसी भी तरह से कठिनाई से मुक्त नहीं है।
58. प्रोफेसर डाइसी का यह कथन कि सम्मेलन एक बाध्यकारी नियम नहीं है, सर केनेथ व्हीयर द्वारा "मॉडर्न" में दिया गया था।

संविधान ", जिन्होंने लिखाः

" परंपरा का अर्थ है एक बाध्यकारी नियम, व्यवहार का एक नियम जिसे स्वीकार किया जाता है।

के कार्य में संबंधित लोगों द्वारा अनिवार्य के रूप में

संविधान। ”

59. सर आइवर जेनिंग्स ने अपने ग्रंथ में संविधान के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए संविधान की परंपराओं पर विस्तार से चर्चा की है।

कन्वेंशन, वह कहता हैः

" संवैधानिक परंपराओं की संक्षिप्त व्याख्या यह है कि वे कानून की सूखी हड्डियों को पोषित करने वाला मांस प्रदान करते हैं; वे कानूनी संविधान को काम करते हैं; वे इसे विचारों के विकास के संपर्क में रखते हैं। एक संविधान अपने आप काम नहीं करता है; इसे पुरुषों द्वारा काम करना पड़ता है।

60. सम्मेलनों को कैसे स्थापित किया जाना है, यह भी सर आइवर जेनिंग्स ने निम्नलिखित शब्दों में समझाया थाः

" यह स्पष्ट है कि केवल अभ्यास ही अपर्याप्त है। यह तथ्य कि एक प्राधिकारी ने हमेशा एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया है, यह कहने के लिए कोई वारंट नहीं है कि उसे उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर प्राधिकरण और उससे जुड़े लोग खुद मानते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो सम्मेलन मौजूद है।

यह साधारण के. लक्ष्मीनारायण बनाम है। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

प्रथागत कानून पर नियम लागू होता है। केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। यह.

मानक होना चाहिए।

61. इसके अलावा, वह कहता है किः

न तो पूर्ववर्ती और न ही डिक्टा के लिए हैं

निर्णायक। कुछ और जोड़ना होगा। जैसा सृष्टि में होता है

कानून के अनुसार, एक सम्मेलन का निर्माण कारण के कारण होना चाहिए

बात इसलिए है क्योंकि यह प्रचलित राजनीतिक दर्शन के अनुरूप है।

संविधान की परिस्थितियों में वांछनीय, इसे बनाया जाना चाहिए एक ही कारण से।

99

62. यह पता लगाने के लिए परीक्षण कि क्या एक अभ्यास या पूर्ववर्ती है

सर आइवर जेनिंग्स ने निम्नलिखित परीक्षण किएः

..... हमें खुद से तीन सवाल पूछने होंगेः सबसे पहले,

पूर्ववर्ती क्या हैं; दूसरा, क्या पूर्ववर्ती अभिनेताओं ने किया? उनका मानना है कि वे एक नियम से बंधे थे; और तीसरा, क्या कोई नियम है?

नियम का कारण? एक अच्छे कारण के साथ एक एकल उदाहरण हो सकता है

नियम स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। पूर्ववर्तियों की एक पूरी श्रृंखला इस तरह के कारण के बिना कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि यह पूरी तरह से नहीं है

यह सुनिश्चित करना कि संबंधित व्यक्ति उन्हें इससे बंधे हुए मानते हैं।

और फिर, जैसा कि हमने देखा है, परंपरा को तोड़ दिया जा सकता है दण्डमुक्ति "।

63. सर आइवर जेनिंग्स द्वारा निर्धारित उपरोक्त तीन परीक्षण किए गए हैं

उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता-अभिलेख संघ और अन्य बनाम भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441 (पैरा 346) में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित। संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ब्रिटिश सम्मेलन से अच्छी तरह वाकिफ थी। प्रारंभ में 17.07.1947 पर माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने खंड पेश करते हुए 14 कहा गया है कि राज्यपाल आम तौर पर अनुसूची में निर्धारित जिम्मेदार सरकार की परंपराओं द्वारा निर्देशित होगा। जिम्मेदार सरकार की परंपराओं

के अनुसार एक अनुसूची तैयार करने पर विचार किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने क्या कहा थाः

" माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः महोदय, मैं कहता हूँ किः

" अपने मंत्रियों की नियुक्ति में और उनके साथ उनके संबंधों में,

राज्यपाल आम तौर पर [2018] 14 एस. सी. आर. के सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होगा।

अनुसूची में यथा निर्धारित उत्तरदायी सरकार; लेकिन राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह निम्नलिखित के अनुसार किए जाने के अलावा अन्यथा की गई थीः

इन सम्मेलनों "।
अब जिम्मेदार सरकार की परंपराओं के अनुसार एक अनुसूची तैयार की जाएगी और रखी जाएगी। यह भी एक गैर-विवादास्पद बात है और मैं स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पेश करता हूं।

घर से "।

64. हालाँकि अनुसूची आई. आई. आई. ए. को संहिताबद्ध करने पर विचार किया गया था, लेकिन बाद के चरण में सुविधाजनक को संहिताबद्ध करना छोड़ने का निर्णय लिया गया।

सम्मेलन को संहिताबद्ध नहीं करने के कारणों को श्री ने विस्तार से बताया। संविधान सभा में 11.10.1949 पर बहस में टी. टी. कृष्णमाचारी। अनुसूची आई. आई. आई. ए. जिसे शामिल करने का विचार किया गया था

संशोधन पेश नहीं किया गया था। इसी तरह, अनुसूची IV, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल अर्थात मंत्रियों के संबंधों का वर्णन किया गया था, को भी हटा दिया गया था। अनुसूची को हटाने के सवाल पर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने श्री कृष्णमाचारी से स्पष्टीकरण देने को कहा। श्री टी. टी

कृष्णमाचारी ने व्याख्या करते हुए कहाः

समय-समय पर विकसित होने वाली परंपराओं में से, और राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने-अपने क्षेत्रों में इसके द्वारा निर्देशित होंगे
उन सम्मेलनों "।

65. संविधान सभा में उपरोक्त बहसें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि संवैधानिक सम्मेलनों पर बहुत अधिक विचार किया गया था

संविधान सभा में बहस के दौरान। सम्मेलन थे समय-समय पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के बढ़ने की उम्मीद है

उनके संबंधित क्षेत्रों को उन सम्मेलनों द्वारा निर्देशित किया जाना था।

66. अमेरिकी न्यायशास्त्र भी परंपरा को मान्यता देता है।

संवैधानिक सम्मेलनों सहित। जॉन अलेक्जेंडर जेम्सन 'ए ट्रीटीज ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल कन्वेंशन' में व्याख्या करते हुए संवैधानिक सम्मेलन में कहा गया हैः

के. लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

" जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, संवैधानिक; न केवल अपने उद्देश्य के लिए संविधानों को तैयार करना या संशोधित करना, बल्कि मौलिक कानून के दायरे के भीतर, इसके बिना होने के रूप में; सहायक और अधीन और इसके लिए शत्रुतापूर्ण और सर्वोपरि नहीं है। प्रजातियाँ कन्वेंशन राज्य के साथ एक आधिकारिक संबंध बनाए रखता है, जिसे एक राजनीतिक संगठन माना जाता है। यह एक निश्चित कार्य के साथ प्रभारित है, न कि एक विवेकाधीन और अनिश्चित कार्य के साथ।

67. लियोनिद सिरोटा ने अपने लेख 'न्यायशास्त्र की ओर' में

संवैधानिक सम्मेलन 'संवैधानिक सम्मेलन को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

" वे प्राथमिक संवैधानिक नियम, जो किसी राज्य में सरकार के कई अंगों की शक्तियों को सीमित करते हैं और उनके बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जो संवैधानिक या सामान्य कानूनों या सामान्य कानून में नहीं पाए जाते हैं, और जो 'संवैधानिक' को दर्शाते हैं।

उस समय के सिद्धांत या राजनीतिक मूल्य।

68. संवैधानिक सम्मेलनों का जन्म और मान्यता संविधान के कार्यकरण में होती है। संवैधानिक सम्मेलन का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान का कानूनी ढांचा संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता के अनुसार संचालित हो। संवैधानिक सम्मेलनों का उद्देश्य हमेशा संविधान में निहित उच्च मूल्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। परंपराएं स्थिर नहीं हैं लेकिन संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक व्याख्याओं में बदलाव के साथ बदल सकती हैं। किसी भी संवैधानिक परंपरा को मान्यता या लागू नहीं किया जा सकता है जो व्यक्त किए गए संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो या रेखांकित संवैधानिक उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत हो जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता था।

69. इस न्यायालय द्वारा कई घोषणाएँ की गई हैं जहाँ संवैधानिक सम्मेलनों का उल्लेख किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था। यू एन आर में।

राव बनाम श्रीमती. इंदिरा गांधी, (1971) 2 एस. सी. सी. 63, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 75 (3) की व्याख्या करते हुए कहा कि संविधान की व्याख्या करते समय, जब संविधान का गठन किया गया था, उस समय प्रचलित परंपराओं के अनुसार,

ध्यान में रखना। अनुच्छेद 75 (3) की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में पालन किए जाने वाले सम्मेलनों से समर्थन लिया। पैराग्राफ 3 और 11 में निम्नलिखित कहा गया थाः

27 दिसंबर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया। द. विघटन से पहले प्रतिवादी प्रधानमंत्री थे।

एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान में, और विशेष रूप से अनुच्छेद 75 (3) में कुछ भी है, जो उन्हें संविधान के विपरीत प्रधानमंत्री के रूप में जारी रखता है? यह कहा गया था कि हमें यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित सम्मेलनों की परवाह किए बिना अनुच्छेद 75 (3) की अपनी शर्तों के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। अगर शब्द

किसी भी प्रासंगिक के बावजूद, एक अनुच्छेद के स्पष्ट हैं

परंपरा, शब्दों को कोई संदेह प्रभाव नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हम एक संविधान की व्याख्या कर रहे हैं न कि संसद के एक अधिनियम की, एक संविधान जो मंत्रिमंडल के साथ सरकार की एक संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। समझने की कोशिश करते समय परंपराओं को ध्यान में रखा जा सकता है

संविधान बनाए जाने के समय प्रचलित था।

" 11. हम विद्वान महान्यायवादी के आभारी हैं और

हमें संकलन प्रदान करने के लिए अपीलार्थी संवैधानिक कानून पर विभिन्न पुस्तकों के उद्धरण शामिल हैं

और संविधान सभा में बहसों से उद्धरण। हमें इस फैसले का बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर

हम विद्वान लेखकों से आश्वासन प्राप्त करते हैं और

भाषण जो हमने लिया है वह सही है, और न केवल यूनाइटेड किंगडम में बल्कि अन्य देशों में जिम्मेदार सरकार की समान प्रणाली का पालन करने वाले सम्मेलनों के अनुसार है।

70. सुप्रीम एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ 1, (1993) 4 एस. सी. सी. 441 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किए गए संवैधानिक सम्मेलन के सबसे विस्तृत विचार ने अपने फैसले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने संवैधानिक सम्मेलन पर विचार किया है। यह न्यायालय मानता है कि सभी स्थापित संविधानों में आविष्कार पाए जाते हैं और जल्द ही सबसे नए में विकसित होते हैं। पैराग्राफ 340 और 341 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 340. लिखित संविधान प्रत्येक के लिए प्रावधान नहीं कर सकते हैं।

संभाव्यता। संवैधानिक संस्थान अक्सर उन प्रावधानों द्वारा बनाए जाते हैं जो आम तौर पर शब्दबद्ध होते हैं। इस तरह के प्रावधानों की व्याख्या परंपराओं की मदद से की जाती है जो समय के साथ बढ़ती हैं। कन्वेंशन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संविधान में ही कमियों को भरते हैं, व्याख्या की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, और भविष्य में विकास की अनुमति देते हैं।

संवैधानिक ढांचा। प्रकृति जो भी हो

संविधान, कानूनी नियमों में बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया जा सकता है।

लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

संवैधानिक को भारी विवेक की अनुमति देना

कार्यकर्ता। सम्मेलन उस अभ्यास को विनियमित करते हैं

विवेकपूर्ण। एक शक्ति जो, न्यायिक रूप से, एक को प्रदान की जाती है

व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को स्थानांतरित, निर्देशित या निर्देशित किया जा सकता है।

पारंपरिक नियम के संचालन द्वारा संचालित। के. सी.

अपनी पुस्तक मॉडर्न कांस्टीट्यूशन (1967 एडन) में वेयर।

इस तरह के नियम को नीचे विस्तार से बताया गया हैः

" अक्सर जो होता है वह यह है कि संविधान में दी गई शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वे कानून में उन लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें वे दिए जाते हैं, तो वे

अभ्यास में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अभ्यास किया जाता है। कन्वेंशन, संक्षेप में, हस्तांतरण शक्तियों को प्रदान करता है

संविधान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक "।

341. सम्मेलनों की प्राथमिक भूमिका को विनियमित करना है

विवेक का प्रयोग-संभवतः बचाव के लिए शक्तियों का गैर-जिम्मेदाराना दुरुपयोग। कॉलिन आर. मुनरो अपनी पुस्तक में

संवैधानिक कानून में अध्ययन (1987 संस्करण) ने सारांश दिया है

निम्नलिखित शब्दों में सम्मेलनों के संचालन का क्षेत्रः

" इसलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन इस प्रकार हैं -

जैसा कि डाइसी ने कहा, विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित

'क्राउन' और उनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन यह केवल कार्यकारी सरकार के संबंध में नहीं है और

विधायिका-कार्यकारी संबंध जो हम ऐसे नियमों और प्रथाओं को संचालन में पाते हैं। वे अन्य क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।

संवैधानिक गतिविधि का भी; उदाहरण के लिए, संबंधों में संसद के सदनों के बीच और के कामकाज में

प्रत्येक सदन, विधायी प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में

प्रशासन और न्यायिक व्यवहार, सिविल सेवा में, स्थानीय सरकार में, और अन्य लोगों के साथ संबंधों में

राष्ट्रमंडल के सदस्य "। "

एक सम्मेलन के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, इस न्यायालय ने सर डब्ल्यू. आइवर जेनिंग्स द्वारा 'द एंड द कांस्टीट्यूशन' में निर्धारित परीक्षण को अनुमोदन के साथ संपादित किया। पैराग्राफ 345 और 346 में निम्नलिखित थाअपनाः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 345. संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य एक उदाहरण के अर्थ में एक 'पूर्ववर्ती' है जिसका पालन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

बाद के समान मामलों में, लेकिन सभी एक ही दिशा में इंगित करने वाले उदाहरणों की एक लंबी श्रृंखला एक परंपरा का बहुत अच्छा प्रमाण है।

346. एक के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यकताएँ

सम्मेलन को सर डब्ल्यू. आइवर द्वारा संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है।

जेनिंग्स इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ एडन। , ( 1959 )

निम्नानुसारः

" हमें खुद से तीन सवाल पूछने होंगेः पहला, पूर्ववर्ती क्या हैं; दूसरा, क्या पूर्ववर्ती अभिनेताओं का मानना था कि वे एक नियम से बंधे थे; और तीसरा, क्या इस नियम का कोई कारण है? एक अच्छे कारण के साथ एक एकल उदाहरण नियम को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। की एक पूरी स्ट्रिंग

इस तरह के कारण के बिना पूर्ववर्ती का कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि यह पूरी तरह से निश्चित न हो कि संबंधित व्यक्तियों ने माना

वे उससे बंधे हुए हैं।

72. इस न्यायालय ने कई ग्रंथों का उल्लेख करने के बाद

संवैधानिक कानून ने माना कि संवैधानिक अधिकारियों को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में ए. एम. ई. का पालन करना होगा। निम्नलिखित पैराग्राफ 351 और 353 में

एल्डः

" 351. हमारे लिए इस विषय में और अधिक गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं कि एक सम्मेलन जबकि यह एक सम्मेलन है

कानून से अलग होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पहले एक सम्मेलन था वह बाद में कानून नहीं बन सकता है। जब प्रथागत नियमों को अदालतों द्वारा कानून के रूप में मान्यता दी जाती है और लागू किया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि एक कन्वेंशन क्यों नहीं हो सकता है

एक कानून में परिवर्तित हो जाता है और लागू करने योग्य हो जाता है। कन्वेंशन न्यायिक मान्यता से भी कानून बन सकते हैं "।

आधुनिक संविधान में क्या है (1966 संस्करण)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विशेष परंपरा का अस्तित्व ऐतिहासिक घटनाओं और विशेषज्ञ तथ्यात्मक प्रस्तुतियों के आधार पर साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना है। लेकिन एक बार जब यह स्थापित हो जाता है

कानून की अदालत कि एक विशेष परंपरा मौजूद है और

संवैधानिक पदाधिकारी उसी का पालन कर रहे हैं

बाध्यकारी पूर्ववर्ती तो इस तरह से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है

कानून की स्थिति का एक सम्मेलन।

और दोनों अपने क्षेत्र में बाध्यकारी हैं ऑपरेशन। एक बार जब यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्थापित हो जाता है कि एक विशेष परंपरा मौजूद है और चल रही है तो परंपरा देश के "संवैधानिक कानून" का एक हिस्सा बन जाती है और इसे उसी तरह से लागू किया जा सकता है।

73. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि एक विशेष परंपरा का अस्तित्व ऐतिहासिक और तथ्यात्मक रूप से स्थापित किया जाना है।

साक्ष्य और परंपरा के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए सर आइवर जेनिंग्स द्वारा निर्धारित परीक्षण को भी पैराग्राफ 357 में निम्नलिखित शब्दों में अनुमोदित और लागू किया गया थाः

" 357. अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में एक स्थापित संवैधानिक परंपरा को इस प्रभाव से पढ़ा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से व्यक्त न्यायपालिका की राय प्राथमिक और बाध्यकारी है। उस उद्देश्य के लिए हम एक परंपरा के अस्तित्व के लिए परीक्षण को अपनाते हैं,

तीन प्रश्नों के आधार पर सर आइवर जेनिंग्स द्वारा निर्धारित किया गयाः ( क) पूर्ववर्ती क्या हैं? ( ख) क्या पूर्ववर्ती अभिनेताओं का मानना था कि वे एक नियम से बंधे थे? , और (ग) क्या इस नियम का कोई कारण है?

74. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों में एक परंपरा स्थापित करने के लिए परीक्षणों को लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री कपिल सिब्बल का प्रस्तुतिकरण,

ऊपर उल्लेख किया गया है कि छह पूर्व अवसरों पर सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के परामर्श के बाद पुडुचेरी विधान सभा के लिए नामित किया गया था पुडुचेरी सरकार। उन्होंने 1985,1990,1996,2006 और 2011 में किए गए नामांकनों का उल्लेख किया है। वर्ष 2001 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जब उपराज्यपाल ने एकतरफा रूप से सदस्यों के नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री की आपत्ति पर अग्रेषित किए, तो कार्यवाही को हटा दिया गया और प्रस्तावित सूची को सदस्यों को वापस भेज दिया गया।

परामर्श की कमी के लिए प्रशासक।

75. भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वकील ने उपरोक्त निवेदन का जवाब दिया है। की ओर से प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त नोट में

भारत संघ ने पहले के अवसरों पर किए गए नामांकनों के बारे में विस्तार से बताया है। भारत संघ के विद्वान वकील ने [2018] 14 एस. सी. आर. से संबंधित केंद्र सरकार की मूल फाइलें भी प्रस्तुत की हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त नामांकन जैसा कि मौखिक रूप से 20.11.2018 पर निर्देशित किया गया था। यह पहले के अवसरों पर किए गए नामांकनों, मूल अभिलेखों को विधिवत चिह्नित करने से संबंधित है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत विवरण निम्नलिखित सारणीबद्ध रूप में हैं:

नामितियों के बारे में विवरण

प्रारंभिक आकस्मिकताएँ

केंद्र

टिप्पणियां

संघ

क्षेत्र

1985 कांग्रेस

कांग्रेस

फ़ाइल का पता नहीं लगाया जा सकता है

1990 कांग्रेस

एल. जी. की सिफारिशों पर

फ्लैग 1

डीएमके

फ्लैग 1 ए

मुख्यमंत्री ने सीधे नामों की सिफारिश की

कांग्रेस

फ्लैग 2

1995 कांग्रेस

गृह मंत्री जिसमें से केवल

फ्लैग 2 ए

एक नाम स्वीकार किया गया। दूसरे ने

नाम अनुरोध से लिए गए थे

राष्ट्रपति द्वारा, पुडुचेरी प्रदेश

हालाँकि, उक्त अधिसूचनाएँ थीं

बाद में अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया।

फ्लैग 3

3 में से दो विधायक

1997

डीएमके

एल. जी. की सिफारिश और फ्लैग 3 ए पर एक

सीएम की सिफारिशें

फ्लैग 3 बी

मुख्यमंत्री की कोई सिफारिश नहीं। लोग

कांग्रेस

फ्लैग 4

2001 एनडीए

एल. जी. द्वारा सिफारिश की गई थी

फ्लैग 4 ए

लाभ का पद और इसलिए नामांकन

फ्लैग 4 बी

नहीं किया गया।

फ्लैग 4 सी

कांग्रेस

2005 यूपीए

सभी 3 विधायक नामित किए गए

फ्लैग 5

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की सिफारिशें

फ्लैग 5 ए

फ्लैग 5 बी

फ्लैग 5 सी

सभी 3 विधायक नामित किए गए

2007 यूपीए

फ्लैग 6

कांग्रेस

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की सिफारिशें

फ्लैग 6 ए

फ्लैग 6 बी

एनआर कांग्रेस

फ्लैग 7

एलजी और सीएम द्वारा भेजी गई सिफारिश।

2011 यूपीए

लेकिन नामांकन नहीं हुए।

फ्लैग 7 ए

फ्लैग 7 बी

सभी 3 विधायक नामित किए गए

2014 यूपीए

एनआर कांग्रेस

फ्लैग 8

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की सिफारिशें

फ्लैग 8 ए

फ्लैग 8 बी

कोई सिफारिश भी प्राप्त नहीं हुई।

2017 एनडीए

कांग्रेस

फ्लैग 8 सी

एलजी या सीएम से

76. उपरोक्त विवरण से संकेत मिलता है कि वर्ष 1990,1997,2005 में,

2007 और 2014 के नामांकन मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल की सिफारिशों पर किए गए थे। मूल अभिलेख उपरोक्त चार्ट में दिए गए कथन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वर्ष 1995,2001 और 2011 में नामांकन की स्थिति अलग है जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

कांग्रेस समिति ने भी तीन अलग-अलग नाम सुझाए। प्रधानमंत्री ने तीन नामों को मंजूरी दी थी जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए एक नाम, राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए एक नाम, पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस समिति और अपना एक नाम शामिल है। अधिसूचना 26.07.1995 पर जारी किया गया था। इसके बाद गृह मंत्री द्वारा 12.08.1995 पर अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लिया गया। आगे नहीं।

उक्त वर्ष में नामांकन किए गए थे।

78. अब हम वर्ष 2001 पर आते हैं। वर्ष 2001 में, उपराज्यपाल ने 10 व्यक्तियों के नाम भेजे थे जिन्होंने मांग की थी

विधान सभा के सदस्यों के रूप में नामांकन। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने अभ्यावेदन भेजा था कि उपराज्यपाल ने नामांकन प्रस्ताव के मामले में उनसे परामर्श नहीं किया था। यह मुद्दा उक्त वर्ष में सामने आया कि क्या केंद्र सरकार द्वारा नामांकन से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श आवश्यक है। गृह मंत्री ने अपने दिनांकित 08.08.2001 आदेश द्वारा कानूनी सलाह प्राप्त करने का निर्देश दिया। संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार ने 21.09.2001 दिनांकित एक टिप्पणी प्रस्तुत की जिसमें पैराग्राफ 9 में उन्होंने कहाः

अधिनियम "।

वर्ष 2001,2002 में कोई अंतिम नामांकन नहीं किया जा सका और

2003 .

79. वर्ष 2011 में, हालांकि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिशें भेजी गई थीं, लेकिन कोई नामांकन नहीं किया गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में जितने नामांकन किए गए हैं, नामांकन वर्ष 2017 में किए गए हैं। डिप्टी द्वारा 16.08.2016 दिनांकित एक नोट लगाया गया था।

सचिव ने कहा कि अंतिम नामांकन गृह मंत्री की मंजूरी के साथ अधिसूचना दिनांक 02.09.2014 के माध्यम से किया गया था। का कार्यकाल

विधानसभा समाप्त हो गई और नई विधानसभा का गठन किया गया है, इसलिए नए व्यक्तियों को मनोनीत सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना है। मूल अभिलेखों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि निम्नलिखित चार मुद्दों को अटॉर्नी जनरल को उनकी सलाह के लिए संदर्भित करने के लिए रेखांकित किया गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" मुद्दा संख्या 1: चाहे केंद्र सरकार। निरपेक्ष हो गया है

नामित सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियाँ

पुडुचेरी की विधानसभा?

क्या एलजी, पुडुचेरी की सिफारिश है

मुद्दा संख्या 2:

मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा पुडुचेरी विधान सभा

सरकार?

यदि अंक 1 का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या वहाँ है?

मुद्दा संख्या 3:

मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद की भूमिका

ऐसी सिफारिश करने के मामले में एल. जी. की सहायता/सलाह देना और यदि ऐसा है तो क्या सहायता और सलाह एल. जी. पर बाध्यकारी है?

यह ध्यान में रखते हुए कि कोई निर्धारित नहीं है

मुद्दा संख्या 4:

इस तरह के नामांकन के लिए प्रक्रिया, क्या किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है या बनाने के लिए उसके लिए कोई विशिष्ट शर्त

नामांकन? "

80. महान्यायवादी ने 15.11.2016 पर फाइल को रखने का आदेश दिया

एस. जी. के सामने "। अभिलेखों में आई. टी. ओ. जनरल द्वारा 29.11.2016 पर विस्तृत राय दी गई है। सॉलिसिटर जनरल के संबंध में

यह नंबर है। 1,2,3 और 4 ने राय दी हैः

“ 5. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, प्रश्न उठाए गए तदनुसार उत्तर दिया जाता हैः

रीः प्रश्न (I): संघ सरकार की धारा 3 (3)

आई.

क्षेत्र अधिनियम, 1963 केंद्र सरकार को अधिकार देता है -

पुडुचेरी विधान सभा के सदस्यों को नामित करना। उक्त उप-धारा (3) में "मई" शब्द के प्रयोग के कारण, उक्त शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार के विवेक पर किया जाना है। इसलिए, केंद्र सरकार,

या विधानमंडल के लिए तीन सदस्यों को नामित नहीं कर सकता है

पुडुचेरी की विधानसभा। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा में परिकल्पित तरीके से नामित सदस्य

विधान सभा के सदस्यों की गिनती केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 4 के. लक्ष्मीनारायणन बनाम।

और यदि केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत पाया जाता है तो वह विधानसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा।

ii. रीः पूछताछ (iii): केंद्र सरकार अपने विवेक से पुडुचेरी विधान सभा में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों पर विचार करने के लिए पुडुचेरी के प्रशासक से परामर्श कर सकती है, विशेष रूप से जब

प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है।

iii. रीः पूछताछ (iii): जैसा कि प्रश्न (ii) के उत्तर में कहा गया है, पुडुचेरी विधान सभा में नामित सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों पर विचार करने के लिए प्रशासक की सिफारिश अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनसे परामर्श किया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री की भूमिका

मंत्री परिषद एल. जी. की सहायता/सलाह देगी

इस तरह की सिफारिश करना उत्पन्न नहीं होता है।

iv. रीः पूछताछ (iv): केंद्र सरकार के लिए तीन सदस्यों को नामित करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

विधान सभा। ऐसी प्रक्रिया के अभाव में, केवल धारा 4 में उल्लिखित सदस्य की पात्रता के मानदंड और धारा 14 में उल्लिखित अयोग्यता के मानदंड

इसका पालन करना चाहिए।

मेरे पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है।

81. इसके बाद फाइल को संसाधित किया गया और गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी।

पुडुचेरी विधान सभा के लिए 20.06.2017 पर तीन व्यक्तियों का नामांकन। मसौदा अधिसूचना को 23.06.2016 पर अनुमोदन के लिए रखा गया था।

82. 1985 से 2017 तक पहले के नामांकनों के विवरण पर ध्यान देने के बाद, अब इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या घटनाओं के क्रम से जैसा कि एक संवैधानिक सम्मेलन के ऊपर देखा गया है। यह पाया जा सकता है कि विधान सभा के लिए नामांकन मुख्यमंत्री से होना चाहिए और केवल मुख्यमंत्री की सहमति से ही किया जा सकता है। हमने सर डब्ल्यू. आइवर जेनिंग्स द्वारा तैयार किए गए परीक्षण को देखा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामले में एक सम्मेलन के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रासंगिक परीक्षण, जैसा कि ऊपर देखा गया है, फिर से पुनः प्रस्तुत किया गया है।

तैयार संदर्भ के लिएः

" हमें खुद से तीन सवाल पूछने होंगेः पहला, पूर्ववर्ती क्या हैं; दूसरा, पूर्ववर्ती अभिनेताओं ने क्या किया? उनका मानना है कि वे एक नियम से बंधे थे और तीसरा, क्या इस नियम का कोई कारण है? एक अच्छे कारण के साथ एक एकल उदाहरण नियम को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। की एक पूरी स्ट्रिंग

इस तरह के कारण के बिना उदाहरणों का कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि यह पूरी तरह से निश्चित न हो कि संबंधित व्यक्ति उन्हें इसके द्वारा बाध्य मानते हैं।

83. हम उन तीन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो प्रश्न तय करने के लिए पूछे जाने हैं। पहला है "पूर्ववर्ती क्या हैं"। ऊपर देखे गए तथ्यों से, हालांकि यह संकेत मिलता है कि कई मौकों पर केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल की सिफारिशों पर नामांकन किए गए थे, एक प्रासंगिक तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया गया था जब पुडुचेरी सरकार और केंद्र सरकार

सरकार एक ही राजनीतिक दल की या सहयोगी दलों की होती थी। लेकिन वर्ष 1995 का उदाहरण इंगित करता है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों का पालन नहीं किया गया और नामांकन मुख्यमंत्री की सिफारिश से एक नाम लेकर किया गया था।

पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस समिति और केंद्र सरकार के कहने पर एक नाम जो नामांकन करता है,

बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया। वर्ष 2001 में की गई सिफारिशें

84. अब, हम दूसरे परीक्षण पर आते हैं जो है "क्या पूर्ववर्ती अभिनेताओं का मानना था कि वे नियमों से बंधे थे"। उक्त परीक्षण है वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं है क्योंकि एक से अधिक अवसरों पर अभिलेखों पर ऐसी सामग्री है कि केंद्र सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि वह किसी भी नियम से बाध्य नहीं है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना है या मुख्यमंत्री की सिफारिशें धारा (3) की उप-धारा (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। न तो एक समान प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही केंद्र सरकार को यह विश्वास था कि वह मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए नियम के तहत बाध्य है। यह सच है कि के. लक्ष्मीनारायणन बनाम पर विचार करते हुए केंद्र सरकार में कोई रोक नहीं है।

मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई सिफारिशें या मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल से उपयुक्त नाम मांगना या मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल को उपयुक्त नाम सुझाना, लेकिन यह तथ्य कि केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार कर सकती है या नाम मांग सकती है, यह कहने के समान नहीं है कि कोई मिसाल या नियम था कि जब तक मुख्यमंत्री द्वारा नामों की सिफारिश नहीं की जाती, तब तक केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ है।

अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत। उदाहरण जहाँ केंद्र सरकार ने की गई सिफारिशों को आसानी से स्वीकार कर लिया एलजी या मुख्यमंत्री जो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित सरकार से निकले थे, उन्हें किसी भी नियम या परंपरा के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इन कार्यों को शक्ति के सुविधाजनक प्रयोग के रूप में माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार नामांकन के लिए मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल सहित किसी भी वर्ग से इनपुट प्राप्त कर सकती है।

85. हम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं।

( 2009 ) 9 एससीसी 648। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आने वाले प्रश्नों में से एक संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन था। पैराग्राफ 37 (ii) में निम्नलिखित प्रश्न देखा गया थाः

" 37 ( (ii) क्या सांविधिक निकायों/गैर-सांविधिक निकायों से संबंधित पचास-पाँच कार्यालयों में से, संयुक्त समिति को प्रस्ताव भेजे बिना, संशोधन को एक रंगीन बना देगा। ऐसा विधान जो किसी भी "संवैधानिक परंपरा" या अनुच्छेद का उल्लंघन करता हो

14 संविधान "।

86. संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 को संशोधित करने के लिए उपरोक्त मामले में उठाए गए तर्कों में से एक

2006 के अधिनियम 31 द्वारा इस आधार पर कि विशेष कार्यालय को लाभ के पद की सूची से छूट देने के लिए, 2006 के अधिनियम 31 पर संयुक्त समिति की राय प्राप्त नहीं की गई थी। पैराग्राफ 79 में निम्नलिखित विवाद को निरस्त किया गया थाः

" 79. यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है। यह गंभीर नहीं है।

विवाद जो भार्गव समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद से

नवंबर 1955 में रिपोर्ट, जब भी लाभ के किसी कार्यालय को करना पड़ता था

उस मामले को छूट दी जाए जिसे संयुक्त को भेजा जाता था

समिति और उसकी राय कि क्या कार्यालय होना चाहिए

छूट दी गई या नहीं, लिया जा रहा था और केवल तभी जब एक सिफारिश थी कि एक विशेष कार्यालय को छूट दी जानी चाहिए, [2018] 14 एस. सी. आर.

उस कार्यालय को छूट की सूची में जोड़ने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा था। हालाँकि, यह केवल एक संसदीय कार्य था

प्रक्रिया और एक संवैधानिक सम्मेलन नहीं। एक बार

संसद को छूट देने की शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है

अयोग्यता और पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसा करने के लिए, किसी भी मानदंड या पारंपरिक प्रक्रिया का कोई भी कथित उल्लंघन कानून बनाने की संसद की शक्ति को कम नहीं कर सकता है। न ही ऐसी विधि जो अन्यथा वैध है, को केवल इसलिए असंवैधानिक बताया जा सकता है क्योंकि उस विशेष संशोधन के लिए कुछ अवसरों पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

87. उपरोक्त निर्णय हालांकि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर विचार कर रहा था, जहां वर्तमान मामले में हम संबंधित हैं -

अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति का प्रयोग। धारा 3 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करने में कोई विशेष वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि व्यापार नियमों के आवंटन और व्यापार लेनदेन नियम, 1961 के अनुसार शक्ति के प्रयोग को इस निवेदन पर दूषित नहीं किया जा सकता है कि एक विशेष प्रक्रिया जिसका पहले कुछ मामलों में पालन किया गया था, का पालन नहीं किया गया था।

88. हम इस तथ्य के लिए कोई स्थापित प्रथा या परंपरा नहीं पाते हैं कि विधान सभा के सदस्यों के नामांकन के लिए नाम

यह मुख्यमंत्री से निकलता है और केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। दोनों मुद्दों का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

अंक संख्या 6

89. श्री कपिल सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 5 में कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने अपवाद लिया है कि

अनुशंसा (iv), जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

नामांकन की तारीख, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वह उस राजनीतिक दल के विधायक दल का हिस्सा बन जाएगा। यदि नामांकन की तारीख को सदन में कोई विधायक दल नहीं है, तो नामित विधायक उस विधायक दल का गठन करेंगे। राजनीतिक दल। यह अन्य बातों के साथ-साथ इस शब्द का उपयोग करते हुए सी. ओ. आई. की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (बी) के स्पष्टीकरण (बी) के कारण है।

' राजनीतिक दल 'और' विधायक दल 'नहीं। के. लक्ष्मीनारायणन बनाम

भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

90. हमने न्यायमूर्ति एम. सुंदर के फैसले के अनुच्छेद संख्या 5 में की गई सिफारिशों पर विचार किया है। सिफारिशें

पैराग्राफ नंबर 5 में कुछ और नहीं बल्कि संसद को विभिन्न पहलुओं पर कानून बनाने के लिए सिफारिशें दी गई हैं, जैसा कि सिफारिश में बताया गया है। हमने, पूर्वगामी चर्चाओं में, यह निष्कर्ष निकाला है कि यह केंद्र सरकार है, जो धारा 3 (3) के तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों को नामित करने के लिए सशक्त है। केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया और तरीका पहले से ही राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य नियमों द्वारा विनियमित किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत शक्ति का प्रयोग। द.

अनुच्छेद 77 (3) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम संवैधानिक और सांविधिक कार्यों सहित केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों पर लागू होते हैं। समशेर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में। पंजाब राज्य और एक अन्य, (1974) 2 एस. सी. सी. 831 पैराग्राफ संख्या 29 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 29. कार्यकारी शक्ति को आम तौर पर अवशेष के रूप में वर्णित किया जाता है जो विधायी या न्यायिक शक्ति के भीतर नहीं आता है। लेकिन

कार्यकारी शक्ति विधायी या न्यायिक कार्यों में भी भाग ले सकती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 123 में अपनी विधायी शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और कार्य। अध्यादेश बनाने की शक्ति और राज्यपाल की सभी शक्तियां और कार्य उनकी विधायी शक्ति को छोड़कर, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 212 में अध्यादेश बनाने की शक्तियां एक मामले में अनुच्छेद 53 (1) के तहत राष्ट्रपति में निहित संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं और दूसरे मामले में अनुच्छेद 154 (1) के तहत राज्यपाल में निहित राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 77 का खंड (2) या खंड (3) खंड के तहत भारत सरकार की कार्यकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। (
1 ) अनुच्छेद 77। इसी तरह, अनुच्छेद 166 का खंड (2) या खंड (3)

इसके संचालन में कार्यकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है

अनुच्छेद 166 के खंड (1) के तहत राज्य सरकार। खंड (3) में "भारत सरकार का कार्य" अभिव्यक्ति

अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 166 के खंड (3) में "राज्य सरकार का कार्य" अभिव्यक्ति में सभी कार्यपालिकाएँ शामिल हैं।

व्यापार "।

91. संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए पहले से ही कार्य नियम हैं। भारत का संविधान, हम विवादित निर्णय के पैराग्राफ नंबर 5 में सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।

इसके अलावा, शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है और यह माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत विचारों द्वारा निर्देशित होगी। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि नामांकन के संबंध में व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम या क़ानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या विधानमंडल में कोई रोक नहीं है। विधानमंडल और उच्च संविधान प्राधिकरणों को नियमित तरीके से सिफारिशें नहीं की जाती हैं और हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद संख्या 5 में निहित कोई भी सिफारिश करने से बचना चाहिए था। विधान सभा का सदस्य बनने या सदस्य बने रहने के लिए योग्यता और अयोग्यता का प्रावधान अधिनियम, 1963 में पहले ही किया जा चुका है। विधायिका के सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यताएँ

विधानसभा का प्रावधान अधिनियम, 1963 और अन्य प्रासंगिक कानूनों में किया गया है, जिन्हें किसी भी सांविधिक का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा कार्य। इस प्रकार, हमारा विचार है कि न केवल पैराग्राफ नंबर 5 (iv) में की गई सिफारिश, बल्कि सभी

पैराग्राफ नंबर 5 में की गई सिफारिशों को दरकिनार किया जाना चाहिए। नतीजतन, विवादित निर्णय के पैराग्राफ नंबर 5 में की गई सभी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

मुद्दा संख्या 7

92. प्रस्तुतियों में से एक, जिसे श्री कपिल ने दबाया है

संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली सीटें तीस होंगी और केंद्रीय सरकार केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में तीन से अधिक व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकती है। इस प्रकार, विधान सभा की संरचना में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति और केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति विधान सभा का हिस्सा हैं।

प्रावधान के. लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ अशोक भूषण, जे।]

अधिनियम, 1963 विधान सभा के सदस्यों को संदर्भित करता है। धारा 11 में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान लेने से पहले,

प्रशासक, या उसके द्वारा उस ओर से नियुक्त कोई व्यक्ति, पहली अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान। "केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य" अभिव्यक्ति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। इसे अधिनियम, 1963 की पहली अनुसूची द्वारा और स्पष्ट किया गया है, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचित और नामित दोनों सदस्यों को संदर्भित करता है।

93. धारा 12 विधानसभा में मतदान से संबंधित है, जो इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

12. विधानसभा में मतदान, विधानसभा की कार्य करने की शक्ति के बावजूद

रिक्तियां और कोरम।

( 1 ) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा की किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और

अध्यक्ष या उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा मतदान करना।

( 2 ) अध्यक्ष या उनके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन निम्नलिखित मामलों में निर्णायक मतदान करेगा और उसका प्रयोग करेगाः

( 4 ) संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति सभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।
( 5 ) यदि केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा की बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम नहीं होता है, तो यह अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो विधानसभा को स्थगित करे या कोरम होने तक बैठक को निलंबित करे।

94. धारा 12 (1) में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा की किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण -

उपस्थित सदस्य, जाहिर है कि विधानसभा के निर्वाचित और नामित दोनों सदस्यों को गिना जाना है, हम धारा 12 (1) की व्याख्या करते हुए नामित सदस्यों को बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 12 (1) में "विधान की किसी भी बैठक में सभी प्रश्न" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। विधानसभा "," सभी प्रश्न "पद में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनका निर्णय विधानसभा की किसी भी बैठक में किया जाना है। सांविधिक प्रावधान इस बात का संकेत नहीं देता है कि मनोनीत सदस्यों को बजट पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। श्री सिब्बल के निवेदन को स्वीकार करना धारा 12 के प्रावधान में शब्दों को जोड़ना होगा, जो स्पष्ट और स्पष्ट हैं। इसके अलावा, उप-धारा (1)

प्रावधान है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के मतदान बहुमत में, अध्यक्ष एक व्यक्ति नहीं होगा, जो मतदान करेगा। जब उप-धारा (1) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से अध्यक्ष द्वारा कोई मतदान का प्रावधान नहीं है, यदि विधानमंडल का इरादा नामित सदस्यों के मतों को बाहर करना था, तो उक्त अभिव्यक्ति उप-धारा (1) में शामिल होने के लिए बाध्य थी। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मनोनीत सदस्यों सहित सभी सदस्य विधानसभा की बैठक में मतदान करने के हकदार हैं और श्री सिब्बल का यह निवेदन कि नामित सदस्य बजट में मतदान नहीं कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना होगा। धारा 12 की उप-धारा (4) जैसे अन्य प्रावधान, जो विधान सभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति का प्रावधान करता है, "विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई" शब्द का उपयोग करता है, विधानसभा के सदस्यों में स्पष्ट रूप से निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य शामिल होंगे।

इस प्रकार, श्री सिब्बल द्वारा उठाए गए इस कथन का कोई आधार नहीं है कि मनोनीत सदस्य बजट में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

95. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेप को बरकरार रखते हैं

पैराग्राफ 5 में दिए गए निर्देशों को छोड़कर उपरोक्त कारणों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय, जिन्हें इसके द्वारा हटा दिया गया है। परिणामस्वरूप, निर्णय के पैराग्राफ 5 में की गई सिफारिशों को हटाने के अधीन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन